सात सामाजिक पापकर्म

- सिद्धांत के बिना राजनीति
- परिश्रम के बिना धन
- विवेक के बिना सुख
- चरित्र के बिना ज्ञान
- नैतिकता के बिना व्यापार
- मानवता के बिना विज्ञान
- त्याग के बिना पूजा

– महात्मा गाँधी

बिहार सरकार

तारकिशोर प्रसाद

उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार

बजट भाषण

2022 - 23

'कौटिल्य अर्थशास्त्र'

।। अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च।।

अर्थः जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना,
जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं राज्य का वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कोरोना महामारी में प्रभावित परिवारों एवं लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

बजट दस्तावेज राज्य की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने की रूप–रेखा प्रस्तुत करता है। संवैधानिक परंपरा के अंतर्गत हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष का वास्तविक व्यय, वर्तमान वर्ष का बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा आगामी वर्ष का बजट अनुमान रहता है।

मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को

जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है

पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसा बनता है,

वो बोली कि तिनका–तिनका उठाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि सम्पूर्ण विश्व पिछले दो वर्षों से कोविड–19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रहा है। इस वैश्विक महामारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में 3.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी, वहीं अमेरिका, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में क्रमशः 5.9 प्रतिशत की कमी तथा 1.0 प्रतिशत मात्र की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। वर्ष 2020–21 में बिहार भी इस आर्थिक मंदी से अछूता नहीं रहा और आर्थिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रहा। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन विकट परिस्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार की नीतियों और नूतन पहल के फलस्वरूप बिहार आर्थिक विकास दर के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी रहा। वर्ष 2022–23 का बजट मुख्यतः उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने तथा जन कल्याण के उद्देश्य से बनाई गयी है। राज्य सरकार की नीतियों एवं पहल के फलस्वरूप वर्ष 2021–22 में 9.8 प्रतिशत तथा वर्ष 2022–23 में 9.7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है।

जहाँ एक ओर वैश्विक महामारी की वजह से आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के फलस्वरूप राजस्व संग्रहण में कम वृद्धि दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी एवं आर्थिक मंदी से निपटने के लिए विकासात्मक तथा जन कल्याण संबंधी व्यय और माँगों को सहायता प्रदान करने के कारण सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित उछाल आया। इस विकट परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राज्य को अपेक्षित सहायता प्रदान की है। समय–समय पर भारत सरकार ने राज्यों को अंतरण होने वाले करों में हिस्सा के साथ–साथ अनुदान तथा सहायता भी प्रदान की है। इस राजकोषीय असंतुलन से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा में भी बढ़ोतरी की। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2020–21 के दौरान पूरे देश में राज्य सर्वोच्च स्थान पर रहा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा।

कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है

इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है।

कोविड–19 महामारी के कारण विगत दो वर्षों से राज्य का वित्तीय प्रबंधन एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। राज्य के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने अपने समस्त कर्मियों एवं पेंशनधारियों को न केवल वेतन/पेंशन का पूर्ण भुगतान किया है, बल्कि ससमय वेतन एवं पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2021 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भी नियमित भुगतान किया जा रहा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य का चतुर्दिक विकास किया जा रहा है। पथों एवं पुलों का निर्माण, गरीब एवं मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल आदि के रूप में आर्थिक सहायता, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं/परित्यक्ताओं को आर्थिक सहायता आदि कार्य किए जा रहे हैं। कोरोना काल की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का भी पालन किया है।

समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का इस वर्ष तेजी से सुदृढ़ तथा गतिशील होना राज्य के समुचित राजकोषीय प्रबंधन एवं नीतियों तथा संयमित एवं धैर्यवान आमजनों के परिश्रम का प्रतिफल है। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह

देश के आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

बिहार सरकार अपनी राजकोषीय नीति में राज्य की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार समय–समय पर बदलाव करती रही है। राज्य की राजकोषीय नीति राजस्व बचत के साथ–साथ इसका उपयोग भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में उन्मुख है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2018–19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत 75,043 करोड़ रुपये हुई। इस राजस्व बचत से राज्य की भौतिक–सामाजिक अधिसंरचना जैसे–सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, इत्यादि का निर्माण किया गया।

माननीय महोदय, आप यह बखूबी जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरती है तो राजकोषीय नीति वित्तीय घाटे की बनाई जाती है, जिससे सार्वजनिक पूँजी निवेश कर रोजगार उत्पन्न किया जाए तथा निजी निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा अतिरिक्त गति प्रदान किया जाए। साथ ही, राज्य का यह दायित्व है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वर्ग के लिए सामाजिक प्रक्षेत्र पर व्यय बढ़ाया जाय। राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 हेतु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजकोषीय घाटा को जी०एस०डी०पी० का 3.47 प्रतिशत रखा है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2022–23 के लिए 25,885 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2022–23 में 45,735 करोड़ रुपये का पूँजीगत व्यय होना अनुमानित है जो वर्ष 2020–21 के वास्तविक पूँजीगत व्यय की तुलना में 1.75 गुणा है। इसके अतिरिक्त इस बजट में सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों पर पूरे बजट का 65 प्रतिशत से अधिक का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट के द्वारा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है और मानव विकास को प्राथमिकता दिया है ।

वर्ष 2022–23 में केन्द्र सरकार से मिलने वाले केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा केन्द्रीय अनुदान मे भी क्रमशः 91,180 करोड़ रुपये एवं 58,001 करोड़ रुपये की राशि अनुमानित है। राज्य का कुल स्कीम व्यय वर्ष 2020–21 के 63,177 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 1 लाख करोड़ रुपये़ हो गया है। यह वृद्धि 58 प्रतिशत है। इससे पूर्व से चल रही योजनाओं तथा नई योजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि राज्यों के लिए जो विशेष ऋण पैकेज के रूप में वर्ष 2022–23 में 1 लाख करोड़ रुपये ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है, इससे बिहार राजकोष को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022–23 में छः सूत्र का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है:–

1. **स्वास्थ्य,**
2. **शिक्षा,**
3. **उद्योग एवं उद्योग में निवेश,**
4. **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र,**
5. **आधारभूत संरचना (ग्रामीण एवं शहरी)**
6. **कल्याण (विभिन्न वर्गों का) ।**

इन छः सूत्रों पर वर्ष 2022–23 में विशेष फोकस रहेगा ।

प्रथम सूत्र–स्वास्थ्यः माननीय महोदय, हम सभी कोरोना के कुप्रभाव को देख चुके हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग एवं आमजनों की भागीदारी से टीकाकरण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर कोरोना के विरूद्ध सफलता प्राप्त की है। बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही, लगातार सघन कोविड जाँच निःशुल्क किया जा रहा है। स्वास्थ्य के बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विगत दो वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है। अभी तक 11.80 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर पी०एस०ए० ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए **16,134.39 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया है।

द्वितीय सूत्र–शिक्षाः राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6298 (उत्क्रमित एवं नवस्थापित) उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7530.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2022–23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत अधिसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट यथा **39,191.87 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया है जो कुल बजट का लगभग 16.5 प्रतिशत है।

तृतीय सूत्र–उद्योग एवं उद्योग में निवेशः राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्ट–अप नीति, इत्यादि लागू किया गया है। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रथम चरण की प्रकिया पूरी हो गई, जिसकी अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अन्तर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है जिसमें 800 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इस योजना में राज्य के वंचित वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सदा सर्वोच्च स्थान दिया है, जिसके फलस्वरूप 4,000 महिला उद्यमियों को इस योजना का लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त 4,000 अत्यंत पिछड़ी जाति, 3,999 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को इस योजना का लाभ मिला है। इस योजना की पूरी प्रकिया को ई–प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन लिया गया और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया। यह राज्य के आर्थिक वृद्धि में अतिरिक्त गति प्रदान करेगी। साथ ही, इससे राज्य के युवाओं को अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है। इन निवेशों के द्वारा राज्य में औद्योगीकरण का बेहतर माहौल बन रहा है। उद्योग एवं उद्योग में निवेश मद में वर्ष 2022–23 में **1643.74 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है।

मंजिल उन्हीं को मिलती है,
जिनके सपनों में जान होती है।
पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं,
हौसलों से उड़ान होती है।

चतुर्थ सूत्र–कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रः राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 से कृषि रोड मैप के तहत कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ हासिल की गई है। मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जायेगा। कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है। इसके अतिरिक्त किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद को अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से बढ़ने हेतु कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। वर्ष 2022–23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए **7,712.30 करोड़ रुपये** का बजट प्रावधान किया गया है।

पंचम सूत्र–ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचनाः बिहार की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और करीब 80 प्रतिशत जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीणों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहाँ एक ओर सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर प्रत्यक्ष रूप से **29,749.64 करोड़ रुपये** वर्ष 2022–23 के बजट में प्रावधान किया है।

षष्टम सूत्र–कल्याण (विभिन्न वर्गों का): हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है । इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इन वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । वर्ष 2022–23 में इन वर्गों के कल्याणार्थ कुल **12,375.07 करोड़ रुपये** का बजट प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के सतत विकास के लिए वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के सात निश्चय योजना प्रारम्भ की गई थी। इसके अंतर्गत पाँच वर्षों के लिए विकास के सात लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। सात निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली निश्चय के लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का योजनावार जानकारी देता हूँ।

आर्थिक हल, युवाओं को बलः

- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** के अंतर्गत कुल 1,66,205 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। कुल स्वीकृत ऋण राशि 4,500 करोड़ रुपये है। कुल वितरित ऋण की संख्या–1,49,089 एवं वितरित ऋण राशि 2,330 करोड़ रुपये है। अब तक 1,17,923 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत हुए है। **वर्ष 2022–23 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** के अंतर्गत अब तक कुल प्राप्त 6,55,509 आवेदन में से 5,72,006 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत कुल 5,16,730 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 697 करोड़ रुपये राशि वितरित की गई है। **वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

- **कुशल युवा कार्यक्रम** के अंतर्गत 19,74,443 (मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित) आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। अब तक कुल 11,89,979 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 1,38,182 प्रशिक्षणरत हैं। वर्तमान में 1,496 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित है। अभी तक इस कार्यक्रम पर 702 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। **वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

हर घर नल का जलः

- इस निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 57,995 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 57,603 वार्डो में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 88.12 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 26,239 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 26,088 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गुणवत्ता प्रभावित 30,163 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 29,335 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,370 वार्डों में कार्य प्रारम्भ कर 3,042 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 14.03 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। **वर्ष 2022–23 में इस निश्चय अंतर्गत 1001.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

घर तक, पक्की गली नालियाँः

- इस निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 1,14,469 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 1,14,469 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 177.08 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

- शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,340 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 3,133 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 8.22 लाख घर आच्छादित किए गए है।

- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सभी 4,643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 3,955.68 कि.मी. सड़क का निर्माण पूर्ण करते हुए 4,601 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई है। **वर्ष 2022–23 में इस निश्चय अंतर्गत 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

शौचालय निर्माण, घर का सम्मानः

- इस निश्चय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 8,386 पंचायत ओ0डी0एफ0 घोषित एवं सभी 115.60 लाख घर आच्छादित किए गए है। सभी 534 प्रखण्ड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिला ओ0 डी0 एफ0 घोषित किए गए हैं।

- शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अब तक कुल 3.84 लाख वैयक्तिक शौचालय एवं 20,476 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। सभी 3,367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओ0डी0एफ0 घोषित किए गए हैं।

अवसर बढ़े, आगे पढ़ें:

- इस निश्चय के तहत राज्य में निर्धारित 54 के विरुद्ध 41 अनुमंडलों में ए0एन0एम0 संस्थान खोला गया है तथा शेष पर कार्य चल रहा है। 23 चयनित जिलों में से 12 जी0एन0एम0 संस्थान स्थापित किया गया है तथा शेष में कार्य चल रहा है। 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 20 संस्थान खुल चुके हैं। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जानी है जिसमें से 4 में स्थापित कर दिया गया है। 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गयी है। 3 नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य में 15 पॉलिटेक्निक संस्थान, 22 अभियंत्रण महाविद्यालय, 17 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 41 अनुमंडल स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं और अन्य पर कार्रवाई चल रही है।

सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 योजना की उपलब्धियाँ

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के बहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित है । विकसित बिहार के लिए सफलतापूर्वक क्रियान्वित सात निश्चय–1 की उपलब्धियाँ उत्साहवर्धक रही हैं। सरकार द्वारा पांच वर्षों (2020 से 2025) के लिए सात निश्चय–2 योजना प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इसके लिए 5000.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत अब तक की उपलब्धियाँ सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

निश्चय–1ः युवा शक्ति– बिहार की प्रगति

- **औद्योगिक प्रशिक्षण/पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजनाः–** बाजार की मांग के अनुरुप संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 60 तथा द्वितीय चरण में 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को Knowledge Partner सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है ।

- **हर जिले में मेगा–स्किल सेन्टर (मार्गदर्शन, नयी स्किल में प्रशिक्षण)ः–** प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। द्वितीय चरण में शेष जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी।

- **हर प्रमंडल में टूल रूमः–** महिला आई.टी. आई. परिसर बरारी, भागलपुर में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के दिशा–निर्देशों के तहत CIPET द्वारा दिनांक–16.10.2021 से प्रथम बैच तथा दिनांक–15.11.2021 से द्वितीय बैच में 40–40 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **हिन्दी में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराया जानाः–** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्य तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

- बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 1153 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

निश्चय–2ः सशक्त महिला, सक्षम महिला

- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में लक्षित 4,000 के विरुद्ध कुल 4,000 महिला आवेदकों को प्रोत्साहन देने हेतु चयन किया गया है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरुप सहायता राशि दी जा रही है। इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000/–रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000/–रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 900 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

निश्चय–3ः हर खेत तक सिंचाई का पानी

- इस निश्चय के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है । योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

निश्चय–4ः स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव

- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगायी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण के तहत कार्रवाई हेतु स्वीकृति दी गयी है। वर्त्तमान में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत 36 ग्राम पंचायतों के 439 वार्डो के लगभग 79,121 घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा है।

- सात निश्चय योजना ''हर घर नल का जल'' अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति तैयार की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति, 2021 अधिसूचित किया गया है जिसमें संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख–रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद नल–जल योजना के रख–रखाव की अन्य व्यवस्था का दायित्व शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया है।

- सात निश्चय योजना ''घर तक पक्की गली–नालियाँ'' अन्तर्गत अनुरक्षण नीति का प्रारुप तैयार किया जा रहा है। पूर्व की निश्चय योजना ''हर घर शौचालय'' हेतु 'स्वच्छ गाँव–हमारा गौरव' अभियान का संचालन किया जा रहा है। अक्रियाशील वैयक्तिक शौचालय और सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील बनाए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त लाभुकों को शौचालय के नियमित उपयोग एवं रख–रखाव के लिए नगर निकायों द्वारा बैठक, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरुक किया जा रहा है।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 847 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

निश्चय–5ः स्वच्छ शहर–विकसित शहर

- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधनः**–अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के सरल कार्यान्वयन अन्तर्गत 34 नगर निकायों में 52 Material Recovery Facility तथा 66 नगर निकायों में 105 Waste to Compost केन्द्र संचालित हैं। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रुप में विकसित किया जा रहा है।

- **वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थलः**–सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु अप्रैल, 2022 से कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

- **शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासनः**–सभी नगर निकायों में सरकारी भूमि पर रहने वाले शहरी गरीब आवासविहीन परिवारों को वासित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अन्तर्गत बहुमंजिला भवन बनाकर बेघर/भूमिहीन गरीब लोगों को आवासन उपलब्ध कराया जायेगा ।

- सभी शहरों में एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

- सभी शहरों में जल–जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चरण अंतर्गत सभी नगर निगम, द्वितीय

चरण में शेष जिला मुख्यालय तृतीय चरण में सभी नगर परिषद और अंत में सभी नगर पंचायतों में योजना क्रियान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 550 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

निश्चय–6 सुलभ संपर्कता :–

- पथों का उन्नयन, चौड़ीकरण मजबूतीकरण हेतु गामीण पथों की सुलभ संपर्कता अन्तर्गत 1,660 सड़कों का सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई 12,555 किलोमीटर है। शहरी क्षेत्र में 120 अदद् बाईपास की योजना प्रक्रियाधीन है।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

निश्चय–7 सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा :–

- **बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ:–** देशी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा BSL II (Bio Safety Level) प्रयोगशाला की स्थापना एवं IAHP (Institute of Animal Health and Production) का सुदृढीकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। कॉल सेंटर एवं एप के माध्यम से पशुपालन की डोर स्टेप सुविधा पर कार्य किया जा रहा है।

- **लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता:–** राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानो को Virtual Hub के रुप में चिन्हित कर टेलीमेडिसीन की सेवा प्रदान की जा रही है। दिनांक 14.12.2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसीन स्टुडियो (ई–संजीवनी) का शुभारंभ किया गया।

- **स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर और विस्तारित करने हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम:–**122 स्थानों पर नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र मे 01 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 05 स्वास्थ्य उप केन्द्र / हेल्थ वर्कर वेलनेस सेन्टर के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। 30 जिलों मे 42 शैय्या तथा 8 जिलों में 32 शैय्या के

Pediatric care unit के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। 30 जिलों अस्पतालों में 10 शैय्या के ICU के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 14 जिला अस्पतालों के 37 अनुमंडलीय अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइप लाइन की स्थापना की गयी है।

इस निश्चय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

महोदय, ई–शासन की दिशा में राज्य ने वर्ष 2006–07 से ही कार्य प्रारंभ कर दिया था लेकिन विगत 5 वर्षों से सरकारी कार्यो में सूचना प्रावैधिकी का प्रयोग व्यापक रुप से हुआ है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सॉफ्टवेयर प्रणाली यथा समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाईन प्राप्ति पोर्टल, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हेतु ई–लाभार्थी, ई–कल्याण, मेधा सॉफ्ट, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली आदि का क्रियान्वयन किया गया है। इनके उपयोग से हम न्यूनतम कागज के प्रयोग तथा हरित कार्यालय की तरफ बढ़ चलें है। इनके माध्यम से राज्य में सभी प्रकार के भुगतान सरकारी खजाने से सीधे लाभुकों के बैंक खाते में किया जा रहा है। सरकार की सभी योजनाओं से संबद्ध लाभुकों के अनुश्रवण के लिए पोर्टल बनाया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकृत परिवार केन्द्रित कॉमन डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

विभागवार बजट प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य सरकार के विभागों के लिए प्रस्तावित राशि एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी सदन के पटल पर रखता हूँ।

कृषि विभाग

राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रम लागू किया गया है। विगत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, फिर भी वर्ष 2020–21 में कृषि विकास का दर 3.7 प्रतिशत रहा है, जो राज्य सरकार की किसान समर्थक नीतियों एवं हमारे किसान भाईयों के अथक परिश्रम का प्रतिफल है।

- वर्ष 2021 के मई माह में यास तूफान के कारण 16 जिले के 102 प्रखंडों में 73,085 हेक्टेयर में फसल क्षति हुई। यास तूफान से प्रभावित 3,73,747 किसानों को 82.50 करोड़ रुपये कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में दिया गया।

- आधुनिक खेती में बीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2021 में पहली बार दलहन एवं तेलहन बीज का मिनी किट का वितरण किया गया। इस योजना के तहत दलहनी फसलों के 30,651 क्विंटल बीज तथा तेलहनी फसलों के 2,169 क्विंटल बीज किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया।

- राज्य में बागवानी विकास के उद्देश्य से सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, चण्डी के द्वारा 20 लाख सब्जियों का पौध किसानों को उपलब्ध कराया गया। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, देसरी के द्वारा 5,20,000 फलों का पौध किसानों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार से 1000 किलो शाही लीची लंदन तथा 750 किलो शाही लीची दुबई निर्यात किया गया तथा 500 किलो आम लंदन निर्यात किया गया। राज्य सरकार के पहल की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 'मन की बात' कार्यक्रम में की गयी थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसान संगठनों को 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा ताकि जिला के चिन्हित विशेष उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके।

- राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गयी है। जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। इसमें से 187 किसानों को जैविक इनपुट के व्यवहार के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण के साथ–साथ 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

- राज्य के सभी 38 जिलों के 190 गाँव में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण किया गया। इसको अपनाकर फसल पद्धति की उत्पादकता 139 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की गयी है एवं 1.91 लाख रु० तक प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत मधुबनी जिला में गोबर एवं फसल अवशेष का संग्रह कर वर्मी कम्पोस्ट बनाने तथा गोबर एवं फसल अवशेष देने वाले परिवार को गैस सिलिण्डर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरु किया गया, जिसकी पूरे देश में सराहना की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा "मन की बात" कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की गयी।

- राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिए वर्ष 2021 में 8,405 किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें 7,59,285 किसानों को प्रशिक्षित किया गया एवं 599 किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त 18 किसान मेला का भी आयोजन किया गया।

- दक्षिण बिहार के जिलों में भूमि एवं मिट्टी संरक्षण के उद्देश्य से जलछाजन विकास के तहत वर्षाजल के संग्रह के लिए वर्ष 2021 में 131 जल संचयन तालाब, 505 पक्का चेक डैम, 1,401 साद अवरोधक बांध, 2,125 आहर का जीर्णोद्धार, 124 कुँआ का निर्माण तथा 1,114 निजी नलकूप का निर्माण एवं 26 सामुदायिक बोरवेल की स्थापना की गयी है। जलछाजन क्षेत्रों में शुष्क बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी राजस्व गाँव में अनाज फसलों का आधा एकड़ तथा दलहन तथा तेलहन का एक–चौथाई एकड़ के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

- भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत 30 फीट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जायेगा।

- राज्य के सभी 54 बाजार प्रांगण के विकास के लिए 2,446 करोड़ रुपये नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 2,746.99 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 837.32 करोड़ रुपये कुल 3,584.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- पशुओं के स्वास्थ्य एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 195 लाख पशुओं को HS-BQ टीका से टीकाकृत करने हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 192 लाख पशुओं को टीकाकृत किया गया।

- राज्य के सभी पशुओं की पहचान हेतु 189 लाख पशुओं का इयर टैगिंग माह दिसम्बर, 2021 तक किया जा चुका है।

- कोविड–19 आपदा से प्रभावित एक लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जीविका के माध्यम से अनुदानित दर पर चूजा वितरण एवं निःशुल्क बकरी वितरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समग्र गव्य विकास योजना के तहत वर्ष 2019–21 तक 2, 4, 6 एवं 10 दुधारू पशुओं की कुल 6,116 इकाई स्थापित की गई, जिस पर रुपये 7,172.06 लाख अनुदान वितरित किया गया।

- सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के लिए कुल 56.00 करोड़ रुपये मात्र की लागत पर राज्य के 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति दी गयी है। निर्धारित लक्ष्य में से 40 प्रतिशत महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जायेगा। वर्ष 2021–22 में 1,000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।

- सात निश्चय–2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक कुल 30.10 करोड़ रुपये

मात्र की लागत पर विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण की योजना की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत 150 नये विपणन केन्द्र की स्थापना पर कुल 7.45 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। सुधा उत्पादों को सभी नगर निकायों एवं सभी प्रखण्ड स्तर पर बिक्री हेतु केन्द्र स्थापित करने का कार्य कॉम्फेड, पटना द्वारा किया जा रहा है।

- लॉकडाउन की अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को **''पोषक सुधा''** (दुग्ध चूर्ण) के 200 ग्राम के पैकेट प्रत्येक बच्चे के लिए होम डिलीवरी के रूप में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए बनाये गये क्वॉरंटाईन केन्द्रों में भी कॉम्फेड से दुग्ध चूर्ण की आपूर्त्ति की गई। इस तरह लॉकडाउन की अवधि में वर्ष 2020–21 में कुल 2,970.54 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण की आपूर्त्ति की गई।

- मत्स्य पालन में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010–11 में राज्य में मत्स्य उत्पादन कुल 2.88 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अब मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। इस प्रकार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 9.60 कि०ग्रा० है।

- भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों यानि वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक के लिए मात्स्यिकी के समग्र विकास, मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता, आधारभूत संरचना एवं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कार्यों पर जोर देने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- वर्ष 2008 से राज्य में कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन से दूध, अण्डा एवं मांस के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हासिल की गई है। राज्य में दूध का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2008 में 57.67 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 115.02 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अंडा का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2008 में 10,667 लाख प्रति वर्ष से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 30,132.15 लाख प्रति वर्ष हो गया है। मांस का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2008 में 180.67 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 385.95 हजार टन हो गया है।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत वर्ष 2022–23 में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा। साथ ही मुर्गी

पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य में स्थित चौर क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में तालाबों, पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जायेगा।

- बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जायेगा तथा देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,194.51 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 395.18 करोड़ रुपये कुल 1,589.69 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सहकारिता विभाग

- राज्य के किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के उद्देश्य से धान/गेहूँ की अधिप्राप्ति कार्य E-Procurement प्रणाली अन्तर्गत किया जा रहा है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसानों को अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी देने एवं उनकी शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु IVRS Call Centre की स्थापना की गयी है।

- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत कृषकों से प्रीमियम मद में कुछ भी राशि नहीं ली जाती है। फसल क्षति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार राशि को ऑनलाईन सीधे निबंधित किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।

- NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाईटी ऑफ इंडिया के द्वारा E–Governance के लिए award of excellence प्रदान किया गया।

- **समेकित सहकारी विकास परियोजना** के अन्तर्गत कुल 1845 नये गोदाम (अधिसंरचना) निर्माण एवं कुल 3,01,050 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है। कुल 96 समितियों में राईस मिल की स्थापना की गई है एवं 21 समितियों में राईस मिल निर्माण कार्य प्रगति पर है। 137 समितियों में कम्पोजिट यूनिट, 787 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई, 78 समितियों में

कम्प्यूटराइजेशन, 65 समितियों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 37 समितियों में एग्री क्लिनिक, 2 समितियों में पशु चारा उत्पादन ईकाई की स्थापना एवं 106 मत्स्य सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई है।

- **मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र** योजनान्तर्गत राज्य के सभी 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित की जानी है। इस योजना अन्तर्गत कुल 1,858 पैक्सों द्वारा 5,408 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए GeM Portal पर क्रय आदेश निर्गत किया गया है एवं पैक्सों को 4,177 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आपूर्ति की गयी है।

- **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना** अन्तर्गत आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य कराया जायेगा एवं अधिक से अधिक ग्राहकों को गुणवत्तायुक्त सब्जी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने पर शहरों में सब्जी बिक्री केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

- वर्ष 2021–22 में अब तक 247 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे अब तक 0.785 लाख मे० टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। पैक्स एवं व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2021–22 में 138 गोदाम के निर्माण हेतु 68.10 करोड़ रुपये जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

- खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु चावल मिल स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2021–22 में 5 चावल मिल स्थापित हुआ है तथा 45 में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- सहकारी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत पैक्स एवं व्यापार मंडलों में अब तक 6,622 गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिससे 13.1235 लाख मे० टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई है। 484 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल स्थापित हो चुका है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांक 17.01.2022 तक कुल 44,036 कृषकों को 120.84 करोड़ रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया है।

- नाबार्ड एवं राज्य सरकार के 50:50 की सहभागिता के आधार पर अनुदान सहायता के माध्यम से राज्य के पैक्सों को कम्प्युटरीकृत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,074.90 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं

प्रतिबद्ध व्यय मद में 211.41 करोड़ रुपये कुल 1,286.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

लघु जल संसाधन विभाग

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा '**जल–जीवन–हरियाली अभियान**' के अंतर्गत परम्परागत जलस्त्रोत यथा 1 एकड़ से बड़े आहर–पईन, 5 एकड़ से बड़े रकवा वाले तालाब, छोटी–छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम बनाकर जल संचयन एवं सिंचाई उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 1,349 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इन योजनाओं से 1,20,742 हे० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा 669 लाख घन मी० जल संचयन क्षमता सृजित हुई है। इसके अतिरिक्त 314 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं को मार्च, 2022 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय–2 के अंतर्गत '**हर खेत तक सिंचाई का पानी**' कार्यक्रम के तहत् 26,652 योजनायें असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित की गयी हैं, जिसमें 3,758 आहर–पईन, 758 चेक डैम, 812 उद्वह सिंचाई योजना एवं 21,273 नलकूप योजना हैं। इन योजनाओं को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 164 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भूगर्भ जल योजनाओं में 184 बंद राजकीय नलकूपों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में चालू कराया गया है। 3,156 राजकीय नलकूपों पर Mobile Pump Controller लगाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से Mobile Phone के माध्यम से ही नलकूप का संचालन किया जा रहा है।

भूगर्भ जल के अनुश्रवण के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों तथा प्रखण्डों में कुल 562 टेलीमिट्री सिस्टम लगाये गये हैं, जिससे भूगर्भ जल स्तर के अनुश्रवण हेतु आंकड़ा प्राप्त हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 826.87 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 196.68 करोड़ रुपये कुल 1,023.55 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

जल संसाधन विभाग

- सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्र में "**हर खेत तक सिंचाई का पानी**" कार्यक्रम के तहत् सभी

ग्राम/टोलों के असिंचित क्षेत्र के स्थानीय किसानों का सुझाव प्राप्त कर तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर राज्य में कुल 29,952 योजनाओं का चयन किया गया है। वेब पोर्टल के माध्यम से चयनित योजनाओं को सभी संबंधित विभागों को कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

- मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर में कमला नदी पर बराज के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 17.12.2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कार्यारम्भ किया गया। बराज के निर्माण हेतु रु० 405 करोड़ मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। बराज निर्माण के पश्चात् वर्तमान कमला वीयर सिंचाई योजना के कृषि कमाण्ड क्षेत्र में 1,175 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ–साथ कृषि कमाण्ड क्षेत्र 28,384 हेक्टेयर से बढ़ कर 29,559 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसका लाभ मधुबनी जिला के जयनगर, बासोपट्टी, खजौली, लदनिया, कलुआही, मधवापुर एवं हरलाखी प्रखण्ड के कृषकों को प्राप्त होगा।

- **पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य** तथा पूर्व से निर्मित नहरों एवं संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। इसके तहत् योजना के अधूरे नहर प्रणाली का निर्माण कार्य तथा 20–30 वर्ष पूर्व निर्मित नहरों में गाद सफाई एवं क्षतिग्रस्त नहरों, बाँधों एवं जीर्ण–शीर्ण संरचनाओं का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। योजना को मार्च, 2023 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

  योजना के अवशेष एवं पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 64,240 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1,41,025 हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। अब तक 5,500 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया गया है।

- गंडक फेज–2 के तहत् अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। इसके तहत् कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। सम्प्रति 1,783.33 करोड़ रुपये की योजना प्रगति में है एवं शेष कार्यों हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा।

- वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से राज्य में कुल संभावित सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध मार्च, 2021 तक कुल 37.15 लाख हेक्टेयर क्षमता का सृजन किया गया

है। इसके उपरांत वर्ष 2021–22 में 28 अदद् योजनाओं का कार्य कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।

- **"जल–जीवन–हरियाली अभियान"** के तहत् राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के विभिन्न अवयवों की औसत प्रगति 78 प्रतिशत है। कुल 150.58 कि०मी० पाईप लाईन के विरूद्ध 129.42 कि०मी० में पाईप बिछाने का कार्य पूरा हो गया है।

- **गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी** में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 266.50 करोड़ रुपये की योजना का कार्यान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस योजना में रबर डैम का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना को अगस्त, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- बाढ़ 2022 पूर्व 232 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 600.66 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करने का कार्यक्रम है, जिससे आगामी बाढ़ अवधि में तटबंधों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् नए नदी तटबंधों एवं पूर्व से निर्मित तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के कई कार्य प्रगति में हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने से लाखों हेक्टेयर अतिरिक्त बाढ़ प्रवण क्षेत्र को सुरक्षा प्राप्त होगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 3,232.63 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,077.94 करोड़ रुपये कुल 4,310.57 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पंचायती राज विभाग

राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है।

- **पंचायत सरकार भवनः**–राज्य के कुल 8,067 पंचायतों में से 1,434 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 1,766 पंचायतों में भवन

निर्माणाधीन है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 250.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

- **मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजनाः**–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत् सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग को आवंटित 57,995 वार्डों में से 57,609 वार्डों में जल की आपूर्ति की जा रही है। अवशेष बचे हुए गृहों में भी शत–प्रतिशत जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जायेगा।

- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गाँवों में बसावटों के अंदर गलियों का पक्कीकरण किया गया है। शेष छूटे हुए गलियों का सर्वेक्षण कर उसे भी इस वर्ष पक्कीकरण करने का लक्ष्य है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 150.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

- **15वाँ वित्त आयोग (Tied एवं Untied)**:– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्) के लिए Tied एवं Untied के रूप में कुल 19,561.00 करोड़ रुपये मात्र अनुदान की राशि अनुशंसित है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 3,842.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

- **15वें वित्त आयोग (Health Sector Grant)** के अनुसार पंचायती राज विभाग को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए कुल 4,802.88 करोड़ रुपये प्राप्त होना है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 904.47 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

- षष्टम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164 दिनांक 13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–25 तक के लिए लागू किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 3,142.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

- सुशासन के कार्यक्रम, 2020–25 के अंतर्गत ''आत्मनिर्भर बिहार'' के सात निश्चय–2 कार्यक्रम के तहत ''स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव'' निश्चय के अंतर्गत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जाना है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई जाएगी, जिनका रख–रखाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 200.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध किया गया है।

- बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 ई०वी०एम० के माध्यम से कराया गया है। ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतदान परम्परागत मत पेटिकाओं और मतपत्रों के माध्यम से कराये गये हैं। इस चुनाव में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार बायोमैट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,300.74 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 8,500.67 करोड़ रुपये कुल 9,801.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास विभाग

जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत अतिक्रमित जल संचयन संरचनाओ में से 16,471 संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कुल 7,271 तालाबों/पोखरों, 6,577 सार्वजनिक आहरों, 15,370 सार्वजनिक पईनों, 13,059 (शहरी एवं ग्रामीण) कुआँ के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,22,295 सार्वजनिक कुआँ/चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण/अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। छोटी–छोटी नदियों/नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन की 7,449 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नये जल स्त्रोतों का सृजन अंतर्गत कुल 17,202 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण अंतर्गत कुल 12,865 कार्य किये गए हैं। पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण अंतर्गत 4.50 करोड़ से अधिक पौधे लगाये गए हैं। वैकल्पिक फसलों, टपकन सिंचाई, जैविक खेती एवं अन्य नई तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैविक खेती अपनाये जा रहे खेतों में टपकन सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, सभी कार्यालयों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा के बचत पर बल दिया जा रहा है।

- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के लिए स्वीकृत 20 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 19 जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है जिसमें महिलाओं की भागीदारी 54.20 प्रतिशत है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा महात्मा गाँधी नरेगा के अभिसरण से कुल 04 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है। जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2.00 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1.51 करोड़ पौधारोपण किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत कुल 283 प्रखंडों में जीविका के सहयोग से 'दीदी की पौधशाला' निर्माण प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरूद्व 26 प्रखण्डों में 'दीदी की पौधशाला' निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। महात्मा गाँधी नरेगा हेतु वर्ष 2022–23 के लिये अनुमानित मानव दिवस सृजन 25 करोड़ आकलित की गयी है एवं 2 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- विकसित बिहार के सात निश्चय 'शौचालय निर्माण–घर का सम्मान' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राज्य वित्त संपोषित 'लोहिया स्वच्छता योजना' को समेकित करते हुये 'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान' अंतर्गत जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से अब तक 122.10 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) की सुलभता प्राप्त हुई है।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' के संकल्प हेतु सितंबर, 2021 में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण (2021–22 से 2024–25) के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में करीब 3,65,000 नये परिवारों अथवा किसी कारणवश छूटे हुये परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है। भूमिहीन विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, प्रवासी मजदूरों, चलंत एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता हेतु 3,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर/कलस्टर शौचालय का निर्माण लक्षित है तथा 11,082 गाँवों (2,400 ग्राम पंचायतों) में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन लक्षित है।

- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान–द्वितीय चरण अंतर्गत राज्य के 210 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है। साथ ही, राज्य के 13 जिलों में गोबर एवं स्लरी के प्रबंधन हेतु गोबरधन (GOBAR-Dhan) इकाई तथा 13 जिलों में मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (Faecal Sludge Management) के क्रियान्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

- जीविका द्वारा अब तक कुल 10.31 लाख स्वयं–सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंर्तगत 1 करोड़ 27 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही 67,123 ग्राम संगठन तथा 1,324 संकुल स्तरीय संघ गठित हो चुके हैं।

- COMFED के साथ समन्वय कर 42,457 जीविका दीदियों ने कुल 854 डेयरी को–ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में गैर कृषि गतिविधि के 1.50 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

- ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्यमियों, विशेषकर किराना दुकान से जुड़ी महिलाओं को, उचित दर पर गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु 68 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 50 'रूरल रिटेल मार्ट' खोला गया एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 150 'रूरल रिटेल मार्ट' खोलने का लक्ष्य है।

- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जीविका दीदियों द्वारा 'दीदी की रसोई' का संचालन 45 अस्पतालों, 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं 04 अन्य संस्थानों में किया जा रहा है। अब तक कुल 6.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अब तक 51 'दीदी की रसोई' खोला गया एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 9 'दीदी की रसोई' खोलने का लक्ष्य है।

- कौशल विकासः–जीविका द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU&GKY) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौशल विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में अब तक लगभग 3.29 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित अथवा स्व–नियोजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 5371 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 12 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में ''जल–जीवन–हरियाली मिशन" के तहत प्रोत्साहित "तालाबों का रख–रखाव" हेतु अब तक 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठनों को प्रदान किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठनों को प्रदान करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना के तहत मलबरी की खेती और रेशम कीट पालन से कुल 4,500 जीविका दीदियों को जोड़ा गया। नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियाँ सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। कुल 350 दीदियाँ इस उद्यम से जुड़ी हैं।

- राज्य में कुल 101 प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 88 प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष 13 प्रखंडों में कार्य प्रगति पर है।

- वर्त्तमान में कुल 57 प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 14,996.19 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 460.28 करोड़ रुपये कुल 15,456.47 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना** के तहत् सभी नगर निकायों के कुल 3,398 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है। कुल 17,28,203 घरों में नल जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत** कुल 3,359 वार्डों में कार्य प्रारम्भ है। इस योजना के तहत अब तक कुल 21,952 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है।

- **शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना** अंतर्गत 3,84,111 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 2,156 इकाई निर्माणाधीन है। इसी प्रकार 20,476 (सीट) सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 1,365 (सीट) निर्माणाधीन है।

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत स्वच्छता को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के सभी कार्यरत नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
- राज्य के कुल 118 नगर निकायों में कचरे से कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार के एक शहर सुपौल को GFC Category में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है तथा राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में मुंगेर, पटना, हाजीपुर, छपरा एवं बेगूसराय को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है।
- बिहार के 24 पुराने नगर निकायों को ODF+घोषित किया जा चुका है तथा बाकी बचे हुए 118 पुराने नगर निकायों को ODF+की श्रेणी में लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- **मोक्षधाम योजना** अन्तर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना है। प्रथम चरण में जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना है।
- **वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल का निर्माण**–राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम के स्थापना एवं संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
- राज्य स्कीम के तहत् सभी नगर निकायों को पथ निर्माण, नाला निर्माण, पेयजलापूर्ति एवं अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदान दिया जा रहा है।
- पटना शहर के जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु नये ड्रेनेज पम्प का अधिष्ठापन, नाला निर्माण, नाला उड़ाही, ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों में पम्प एवं मोटर आदि के अधिष्ठापन से संबंधित कुल 63,392.28 लाख रुपये की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन आदि हेतु बहुउद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराये जाने के निर्णय अंतर्गत कुल कार्यरत 142 नगर निकायों में से अब तक 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। शेष नगर निकायों में योजना के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
- **जल–जीवन–हरियाली अभियानः–** राज्य में जल संरक्षण के दृष्टिकोण से जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत पोखर/तालाब की उड़ाही/जीर्णोद्धार, कुओं की उड़ाही/जीर्णोद्धार, सोख्ता निर्माण तथा Roof Top Rain Water Harvesting से संबंधित

कार्य कराये जा रहे हैं। इस अभियान के तहत अब तक कुल 15,151 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं।

- **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजनाः**–यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी 12 नगर निगम में कार्यान्वित की जा रही है।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक–01.10.2021 को AMRUT(Urban) 2.0 का शुभारम्भ किया गया है। AMRUT(Urban) 2.0 अंतर्गत जलापूर्ति/पार्क योजना सभी नगर निकायों में कार्यान्वित की जानी है।
- **स्मार्ट सिटी योजनाः**–राज्य में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं।
- पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कुल 09 योजनाओं में कुल 317.07 करोड़ रुपये की लागत से कार्यारंभ किया जा चुका है। भागलपुर स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कुल 13 योजनाओं में कुल 876.09 करोड़ रुपये की लागत से कार्यारंभ किया जा चुका है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कुल 12 योजनाओं में कुल 158.14 करोड़ रुपये की लागत से कार्यारंभ किया जा चुका है। बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कुल 16 योजनाओं में कुल 304.83 करोड़ रुपये की लागत से कार्यारंभ किया जा चुका है।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम** के तहत राज्य के अन्तर्गत गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु गंगा नदी तट पर अवस्थित 23 शहरों में स्वीकृत 31 योजनाओं के माध्यम से सीवरेज शोधन का कार्य के लिए कार्रवाई की जा रही है। नालों के प्रवाह को Bio-remediation पद्धति से शोधन के उपरांत ही शोधित जल गंगा एवं इसके सहायक नदियों में प्रवाहित किया जाना है। इसके तहत 03 योजनाओं के द्वारा कुल 91 नालों के प्रवाह का शोधन कार्य कराया जा रहा है।
- **पटना मेट्रो रेल परियोजना** के अन्तर्गत पटना में दो कोरिडोर का चयन किया गया है। कॉरिडोर–I, जो दानापुर से प्रारंभ होकर जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना रेलवे स्टेशन, मीठापुर से गुजरते हुए खेमनीचक तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 17.933 कि०मी० है। कॉरिडोर–II, जो पटना रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर आकाशवाणी, गॉधी मैदान, अशोक

राजपथ, मोइनुलहक स्टेडियम, मलाही पकड़ी बाईपास, खेमनी चक, जीरो माइल होते हुए न्यू I.S.B.T तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 14.554 कि0मी0 है। अब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 213.00 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 262.50 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) को Nomination Basis पर 482.87 करोड़ रुपये के शुल्क पर कार्य आवंटित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 4,035.10 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 4,140.84 करोड़ रुपये कुल 8,175.94 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

राज्य के विभाजन के उपरान्त वन क्षेत्र, बिहार राज्य में कम हो गये। वर्तमान में राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (94,163 वर्ग कि०मी०) का लगभग 15 प्रतिशत हो गया है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 5 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह जनवरी 2022 तक कुल 387 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है।

- राज्य में कृषि वानिकी योजना के तहत् कृषकों को शामिल करते हुए 10.21 लाख पौधे स्वयं की भूमि पर लगाये गये। विभाग द्वारा वन क्षेत्र के निकट के ग्रामों में जन समुदाय के बीच 4.72 लाख फलदार एवं इमारती पौधे वितरित किये गये।

- राज्य में कार्यरत जीविका समूह के सदस्यों को वन एवं वनरोपण कार्यक्रम में शामिल करते हुए इस वर्ष मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना अंतर्गत पौधशाला स्थापित करने हेतु 210 इकाईयाँ जीविका दीदी तथा 155 इकाईयाँ कृषकों को आवंटित की गयी हैं। इस तरह कुल 365 पौधशाला स्थापित की जा रही है जिसमें 73.00 लाख पौधे उगाये जायेंगे।

- विभाग द्वारा नमामि गंगे अन्तर्गत 18 वन प्रमण्डलों में गंगा एवं उसके सहायक नदियों के आस–पास वृक्षारोपण कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2.50 लाख से अधिक पौधों के रोपण का कार्य किया जा रहा है।

- राज्य में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम Bird Ringing & Monitoring Station की स्थापना

हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है।

- राज्य में पहली बार भागलपुर जिले में पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया तथा पक्षी आश्रयणी, नागी, जमुई जिले में दिनांक–15 से 17 जनवरी, 2021 को प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव "कलरव" का आयोजन किया गया।

- राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत राजगीर वन क्षेत्र में स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में 480 एकड़ में 'जू सफारी' का निर्माण कार्य किया गया। इस "जू सफारी" के समीपस्थ उपयुक्त वन क्षेत्र के 500 हे० में एक "नेचर सफारी" की स्थापना की गयी है जो इको–टूरिज्म के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नेचर सफारी में 40 मी० ग्लास सस्पेंशन ब्रीज आकर्षण का केन्द्र है।

- बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में अवस्थित कॉंवरताल ''आर्द्रभूमि" को रामसर कन्वेंसन द्वारा वर्ष 2020 में राज्य का प्रथम एवं देश के 38वाँ ''रामसर साईट" के रूप में अन्तरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि घोषित किया गया है।

- ईंट भट्ठों से जनित वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु राज्य में पुरानी तकनीक पर आधारित सभी ईंट भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तन कराया जा रहा है। अब तक राज्य के करीब 3000 ईंट–भट्ठों को स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 462.95 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 199.89 करोड़ रुपये कुल 662.85 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

उद्योग विभाग

वर्तमान में राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार, कौशल विकास एवं निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचाना है।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 5,100 लाभुकों का चयन किया गया, जिसमें से कुल 3,952 लाभुकों को कुल 311.11 करोड़

रुपये राशि विमुक्त की गई है। अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनान्तर्गत कुल 1,978 लाभुकों का चयन किया गया है, जिसमें से 1,427 लाभुकों को कुल 108.43 करोड़ रुपये विमुक्त की गई है।

- सात निश्चय–02 अंतर्गत राज्य के युवाओं/महिलाओं के बीच स्वरोजगार/उद्यमिता को बढ़ावा देने के उदेश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 में दो नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी येाजना दिनांक–18.06.2021 से लागू की गई है।

- स्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2021, दिनांक–17.03.2021 से लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में उद्योगों की स्थापना कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना एवं रोजगार सृजित करना है। कुल 17 इकाईयों का तेल उत्पादक कम्पनियों (OMC) से एकरारनामा हुआ है।

- राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 संकट से निपटने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 लागू की गयी है। इस नीति के तहत योग्य इकाई को 30 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र को मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किये जायेंगे।

- जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजनाः–कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में इच्छुक बिहारी श्रमिक बिहार वापस लौटे। अन्य राज्यों से वापस आये मजदूरों की स्किल मैपिंग की गयी तथा इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। कई उत्पादों को बिहार एवं देश के बाहर भी निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार के लोक उपक्रमों की मदद से प्रत्येक जिले में औद्योगिक कलस्टरों का विकास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले को 50.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इसके विरूद्ध कुल 206 समूह को चिन्हित किया गया जबकि 168 कलस्टरों में कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं 2,433 कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 3,415 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) 10,159.12 लाख रुपये के विरूद्ध अब तक 1622

आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखाओं में भेजा गया है। बैंक द्वारा अब तक 949 आवेदकों के बीच 3,239.18 लाख रुपये मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में भुगतान किया गया है।

- सात निश्चय के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा बिहार के युवक/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्रों में CIPET-हाजीपुर, TRTC-पटना, ATDC-पटना, CFTI-आगरा तथा NIELIT-पटना शामिल है।

- आयडा द्वारा गया जिलान्तर्गत डोभी, अंचल में Integrated Manufacturing Cluster (IMC) की स्थापनार्थ 1,670 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है।

- बियाडा अंतर्गत स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र, बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर/मेडिकल डिवाईस पार्क/ट्वॉय क्लस्टर, कुमारबाग बेतिया/औद्योगिक क्षेत्र, मोतीपुर, मुजफ्फपुर में मेगा फूड पार्क/फार्मा एण्ड सर्जिकल पार्क/औद्योगिक क्षेत्र, गोरौल, वैशाली में प्लास्टिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग (बेतिया) में टेक्सटाईल पार्क एवं एपेरल पार्क की स्थापना की जानी है, जिस पर होने वाली अनुमानित व्यय की राशि 150.00 करोड़ रुपये है।

- भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलाः–यह आयोजन प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाता है जिसमें उद्योग विभाग द्वारा भागीदारी की जाती है। वर्ष 2021 में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उद्योग विभाग, बिहार सरकार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया।

- विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदानः–विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर 3.00 प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत 11-85 करोड़ रुपये मात्र स्वीकृत किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत राज्य के अब तक 17,222 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

- राज्य सरकार द्वारा तसर, मलवरी, अंडी रेशम विकास के कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

- खादी पुनरूद्धार योजना के अन्तर्गत बिहार स्थित खादी संस्थाओं को 320 करघा क्रय किये जाने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर राशि उपलब्ध करायी गई है। प्रत्येक 05 चरखा पर 01 करघा संस्थाओं को दिया जा रहा है। खादी संस्थाओं को अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने

तथा कच्चा माल एवं कतिनों/बुनकरों को समय पर पारिश्रमिक देने हेतु कार्यशील पूँजी ऋण के रूप में 7 वर्षों के लिए 84 किस्तों में 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

- बिहटा, पटना में सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सीपेट) मुख्यालय, चेन्नई के द्वारा 10 एकड़ भूमि पर B. Tech एवं M. Tech कोर्स प्रारंभ करने हेतु Institute of Petrochemical Technology (IPT) की स्थापना की जायेगी। खादी मॉल, पटना की तर्ज पर गया, मुजफ्फरपुर एवं राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को 10,000/– रुपये प्रति ग्रामोद्योगी ईकाई के परियोजनान्तर्गत कार्यशील पूँजी ऋण स्वरूप दिया जाना है। स्पीनिंग मिलिंग एवं फिनिशिंग प्लांट, डेहरी ऑन सोन (रोहतास) में भवन निर्माण एवं मशीन की स्थापना की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,545.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 98.74 करोड़ रुपये कुल 1,643.74 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

गन्ना उद्योग विभाग

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत प्रजनक बीज, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया है एवं गन्ना कृषकों के बीच 6.00 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण कार्य प्रगति पर है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत गन्ना फसल के साथ मसूर/मूंग की अंतरवर्ती खेती की योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।
- पेराई सत्र 2020–21 में गन्ना का आच्छादन 2.69 लाख हे0 तथा रिकवरी प्रतिशत 10.04 प्रतिशत हुआ है।
- प्रोत्साहन पैकेज–2014 को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु **बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2021** का प्रारूप तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 100.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 20.04 करोड़ रुपये कुल 120.04 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण विभाग

बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण एवं कल्याण हेतु राज्य सरकार संकल्पित है।

- पूरक पोषाहार योजना अंतर्गत आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। वितीय वर्ष 2021–22 में योजना अन्तर्गत 27.28 लाख बच्चों को पका भोजन 23.32 लाख बच्चों के लिए टेक होम राशन तथा 10.52 लाख गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 21.97 लाख गर्भवती/धातृ महिलाओं को 5,000/– रुपये का भुगतान तीन किस्तों में किया गया है।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्के लिए पोशाक योजना अंतर्गत स्पूर्व शिक्षा प्राप्कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लाभुकों के लिए कुल 14.66 लाख बच्को 400/– रुपये की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध कराया गया है।
- **"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"** अभियान अंतर्गत सभी किशोरियों (11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिका) का नामांकन विद्यालय में कराया गया है।
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 6,57,393 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत **"सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि"** प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रातियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में वैसी सभी महिला अभ्यर्थी के उतीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु एकमुश्त क्रमशः 50,000/– तथा 1,00,000/– रुपये की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि देय है।

- राज्य में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन–पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु **बाल सहायता योजना** प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत योग्य बच्चे जो गैर सांस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों, को 18 वर्ष की आयु तक पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि 1500/– रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। वितीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 50.00 लाख रुपये के बजट उपबंध के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय कर दिया गया है।

- राज्य अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के कुल 81 गृह संचालित हैं जिसके माध्यम से अनाथ बेसहारा, परित्यक्त एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है, जिसमें विधि विवादित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह भी संचालित हैं।

- ''परवरिश'' योजना के तहत 0–18 वर्ष के बच्चों को 1,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा वर्ष 2021–22 में अब तक 13,002 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

- अन्तर्जातीय विवाह करने वाली 208 महिलाओं को वर्ष 2021–22 में 2.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

- राज्य के वृद्धजन, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत कुल 2013, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 709 एवं कबीर अन्त्येष्टि योजना अंतर्गत 19,757 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

- कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भिक्षावृति से दूर करने हेतु बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में 12,559 लाभुकों को 22.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 8,132.46 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 68.66 करोड़ रुपये कुल 8,201.13 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 10,000/– रुपये मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण** छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रसोईया–सह–सेवक की सेवाएँ, रोशनी, बर्तन इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में 12 जिलों में कुल 14 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास संचालित हैं।

- **जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना** अन्तर्गत वर्तमान में 29 जिलों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्मित हैं, जिसमें 26 छात्रावास संचालित हैं। 2 जिलों यथा–पटना एवं नवादा में निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटना एवं वैशाली जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिनमें वर्ग 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं, जिसका स्वीकृत छात्रबल प्रति विद्यालय 280 है। सभी विद्यालय भवनों को 520 आसन के अनुरूप निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है।

- मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना–अब तक इस योजनान्तर्गत 4414 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना** अन्तर्गत छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1000/– रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया गया है। लगभग तीन हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।

- पूर्व से संचालित 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2उच्च विद्यालय के

अतिरिक्त राज्य के शेष सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+उच्च विद्यालय संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति सहित 9 जिलों में दस 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2उच्च विद्यालय भवन के निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा–कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा–क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु ''मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना'' प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,818.53 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 55.33 करोड़ रुपये कुल 1,873.86 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

- **मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** अन्तर्गत UPSC (PT) एवं BPSC(PT) में उतीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को क्रमशः UPSC के 85 एवं BPSC के 3,117 अर्थात कुल 3,202 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है।
- **आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण/जीर्णोद्धारः**–अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 66 तथा अनु0 जनजाति छात्र/छात्राओं के लिए 21 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमे क्रमशः 25,600 अनु0 जाति एवं 7,720 अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में भवन निर्माण विभाग के मॉडल प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय 51.00 करोड़ रुपये की दर से डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय बालिका+2उच्च विद्यालय, औरंगाबाद के भवन (720 आसन) के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
- वर्तमान में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्रों को पठन–पाठन की सुविधा के लिए राज्य में कुल 111 छात्रावास कार्यरत हैं।

- **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रः**–वर्तमान में अनु०जाति के लिए 7 प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र यथा–पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा में संचालित किया जा रहा हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत् प्रशिक्षणार्थियों को देश के विभिन्न प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना** के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।
- **थरूहट क्षेत्र विकासः**–पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत थरूहट क्षेत्र के विकास के लिए अब तक 272 योजनाओं में से 252 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। 2,150 युवक/युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत ड्रेस मेकिंग, सिक्युरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, ऑटोमोबाईल, ड्राइविंग, डी०टी०पी० आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। थरूहट क्षेत्र में 48 पुस्तकालय भवनों का निर्माण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,414.95 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 314.65 करोड़ रुपये कुल 1,729.60 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु कृतसंकल्पित है।

- **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2021–22 में 79,521 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 93.76 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये है।
- **राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी यथा–बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, STET, CTET तथा सिपाही भर्त्ती, मोटरयान के दक्षता प्रशिक्षण हेतु कुल 700 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से निर्मित एवं संचालित सभी छात्रावासों में आवासित सभी श्रेणी के छात्र/छात्राओं को 15 किलो ग्राम खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु सरकार प्रयासरत है, जिसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना संचालित है। इस योजना के तहत अब तक 45 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है। इन छात्रावासों में लगभग 4,535 छात्र/छात्राओं के आवासन की व्यवस्था की गई है।

- **तलाकशुदा/परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक कुल 424 मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के लिए 106.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

- **अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना** वित्तीय वर्ष 2012–13 से लागू है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक 15,799 अल्पसंख्यक लाभुकों के स्वरोजगार हेतु 225.53 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 2,297 अल्पसंख्यक बेरोजगार युवक/युवतियों के बीच 52.22 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है।

- सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किये जाने के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 में किशनगंज, पूर्णिया एवं मधुबनी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 159.72 करोड़ रुपये की योजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसमें किशनगंज में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 02 मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु 344 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है ।

- बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित वक्फ की सम्पत्ति के विकास हेतु **बिहार राज्य वक्फ विकास योजना** लागू की गई है। पटना, किशनगंज, नालंदा, एवं नवादा में बहुद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केटिंग कम्पलेक्स, लाईब्रेरी भवन एवं मुसाफिर खाना के निर्माण हेतु 49.56 करोड़ रुपये की 05 योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 523.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 47.49 करोड़ रुपये कुल 570.49 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

राज्य के सभी 534 अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही, सभी अंचलों के अधीन लगभग 3,78,00,000 (तीन करोड़ अठहत्तर लाख) सृजित जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर आम लोगों के अवलोकन हेतु विभागीय Website पर अपलोड किया गया है। दाखिल–खारिज की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निबंधन कार्यालयों को Suo Moto Mutation हेतु सभी अंचल कार्यालयों के साथ सम्बद्ध किया जा चुका है।

- विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल **http://biharbhumi.bihar.gov.in/** विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से भू–धारी/रैयत डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिये ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दर्ज शिकायतों की सम्पूर्ण जाँचोपरांत निर्धारित समय सीमा के अन्दर अंचल कार्यालय द्वारा सुधार किया जा रहा है।

- **ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र**:–एक मानक एल०पी०सी० प्रारूप सभी अंचलों को ऑनलाईन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (LPC) निर्गत करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। राज्यान्तर्गत भूमि पर अवभार (Encumbrances) अभिलेखन से संबंधित पोर्टल का शुभारंभ माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा दिनांक–09.12.2021 को किया गया है। इस पोर्टल के अन्तर्गत राज्य में अवस्थित रैयती भूमि/भू–खण्ड के विरूद्ध बैंको से लोन/कर्ज लेने पर उक्त बैंको के द्वारा Charge Create किया जायेगा, जिससे यह ऑनलाईन ज्ञात होगा कि उक्त भूमि पर किस प्रकार का लोन/कर्ज है।

- **ऑपरेशन भूमि दखल देहानी** :–पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर बेदखल किये जाने की स्थिति में दखल–कब्जा दिलाने के उद्देश्य से "ऑपरेशन भूमि दखल देहानी" कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। अब तक कुल चिन्हित 1,29,116 बेदखल पर्चाधारियों में से कुल 1,08,634 पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाया जा चुका है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत 50 ग्रामों को अनाधिसूचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **भू–हदबंदी** के अधीन राज्य में कुल 3,29,192.102 एकड़ भूमि अर्जित की गयी जिसे सुयोग्य श्रेणी के परिवारों के बीच 2,59,232.285 एकड़ भूमि का वितरण किया गया है एवं शेष भूमि अयोग्य है।

- राज्य के सभी जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु 31 मार्च 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य के सभी 38 जिलों का अद्यतन भू–अभिलेख डाटा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जिसे रैयत कहीं भी कभी भी अपनी भूमि का विवरण विभागीय वेबसाईट lrc.bih.nic.in पर देख सकते है।

- बिहार राज्य के सभी 38 जिलों (मुख्यतः मधुबनी एवं पूर्णियाँ में आंशिक कार्य शेष) में हवाई फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है।

- राज्य के सभी अंचलों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जा रहा है। वर्त्तमान में कुल 534 अंचल कार्यालयों में से 441 अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष 93 अंचलों में भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य है।

- राज्य के राजस्व पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शास्त्रीनगर, पटना में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान का भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही प्रशिक्षण संस्थान हेतु 60 बेड वाले छात्रावास का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है।

- राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में प्रशिक्षण भवन का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है एवं विस्तारीकरण के उद्देश्य से नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त कर इस संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 25.11.2021 से 24.12.2021 तक नवनियोजित राजस्व पदाधिकारियों को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया एवं डायट भवन सोनपुर (सारण) में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 405.11 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 927.30 करोड़ रुपये कुल 1,332.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

- राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राज्य में 01 अप्रैल, 2016 से देशी शराब एवं 05 अप्रैल, 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाकर सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

- वैसे लोगों को जो शराब और ताड़ी के व्यवसाय से अपना जीवन यापन कर रहे थे मद्य निषेध लागू होने के उपरान्त उनके लिये सतत् जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रोजगार हेतु 60,000/– रु० से 1,00,000/– रु० तक आर्थिक मदद दी जा रही है।

- राज्य में मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस महानिरीक्षक (मद्य निषेध), बिहार का एक पद सृजित कर इनके नेतृत्व में मद्य निषेध इकाई का गठन किया गया है।

- राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति की सफलता से प्रभावित होकर कर्नाटक, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की सरकार ने नीति एवं उसका कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिये अध्ययन दल भेजा था। इन अध्ययन दलों द्वारा शराबबंदी नीति को सराहनीय बताया गया और अपने–अपने राज्य सरकारों को इसके प्रभाव से अवगत कराते हुए राज्य में मद्य निषेध लागू करने की सलाह देने की बात कही गयी।

- चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 2021 तक (दिनांक–01.04.2021 से 31.12.2021 तक) दस्तावेजों के निबंधन से 3,536.47 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहित किया गया है।

- राज्य सरकार की e-governance नीति तथा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के लिए विकल्प के रूप में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज का Online Registration प्रणाली को लागू किया गया है। Online Registration के क्रम में online payment हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1% (एक प्रतिशत), अधिकतम राशि 2,000/– रुपये मात्र तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

- विभाग द्वारा संस्था/फर्म का निबंधन शत–प्रतिशत ऑनलाईन व्यवस्था के अंतर्गत किया जा

रहा है। आम जनता संस्था/फर्म से संबंधित आवेदन ऑनलाईन जमा कर सकती है तथा उक्त दस्तावेजों पर देय शुल्कों का भुगतान भी Credit Card/Debit Card/ Net Banking के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा रहा है। इसके लागू होने के कारण अब आम जनता घर बैठे संस्था/फर्म का निबंधन करा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्कीम मद में 1.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 263.60 करोड़ रुपये कुल 264.60 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

वाणिज्य—कर विभाग

वाणिज्य—कर विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर, 2021 तक निर्धारित लक्ष्य 27,123.49 करोड़ रुपये के विरूद्ध कुल 20,133.03 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है।

- लघु करदाताओं की सुविधा के लिए 1 जनवरी 2021 से QRMP योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए त्रैमासिक विवरणी एवं मासिक भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प है। सम्प्रति 1,81,144 करदाताओं द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है।

- जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी दाखिल नहीं करनेवाले करदाताओं को पुनः मौका देते हुए Amnesty Scheme लाया गया, जिसके अन्तर्गत जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक की लंबित विवरणियों को दिनांक 30.11.21 तक दाखिल कर दिये जाने पर Late Fee से भारी राहत दी गई। इसके अलावा माह जून, 2021 एवं उसके बाद की विवरणी के दाखिला में हुये विलंब के कारण देय Late Fee की अधिकतम राशि को भी घटाया गया।

- वैश्विक महामारी कोविड—19 के कारण आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में प्रयोग होने वाली दवा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कन्सनट्रेटर, वेन्टिलेटर, कोविड टेस्टिंग किट जैसी कई अन्य जरूरी चीजों पर कर की दरों को घटाया गया है।

- वैश्विक महामारी कोरोना एवं अंतर्राष्ट्रीय कारणो से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि से राज्य की जनता को राहत देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा डीजल एवं पेट्रोल पर लागू कर की दरों में कमी करते हुए डीजल पर प्रभावी कर की दर को 19 प्रतिशत से घटाकर 16.37 प्रतिशत या रु० 12.33 प्रति लीटर एवं पेट्रोल पर प्रभावी कर की दर को 26 प्रतिशत से घटाकर 23.58 प्रतिशत या 16.65 रुपये प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो, किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 175.97 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

परिवहन विभाग

- **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना** अन्तर्गत प्रति पंचायत निर्धारित पाँच लाभुकों के लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाभुक प्रति पंचायत (अनुसूचित जाति/जनजाति के 4 एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के 3) किया गया है। इस योजना में अब तक सम्पूर्ण राज्य में 38,936 लाभुको को अनुदान का लाभ दिया जा चुका है। प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक की अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 2 लाभुक द्वारा एम्बुलेंस के क्रय पर, क्रय मूल्य का 50% परन्तु अधिकतम 2 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021—22 में 2,500 करोड़ रु० के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व दिसम्बर, 2021 तक 1,712 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया।

- **मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना के** अंतर्गत वाहन चालन के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से गुणवतापूर्ण चालन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सड़क दुर्घटना की संभावना को न्यून करना है। कुल 37 जिलों में (औरंगाबाद को छोड़कर) 74 मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है, जिसमें 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक कुल 51 संस्थानों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। गया एवं अरवल जिलो में प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण**—सुयोग्य अभ्यर्थियों को चालन अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिलों में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जानी है। सभी जिलों में ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु योजना स्वीकृत है। इनमें से 15 जिलों को ट्रैक की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- **सिमुलेटर आधारित प्रशिक्षणः**—राज्य के सभी वैध मोटर ट्रेनिंग ड्राईविंग स्कूलों में उन्नत

चालन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सिमुलेटर आधारित ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया है। इस योजना के तहत सिमुलेटर का क्रय करने हेतु क्रय मूल्य की 50 प्रतिशत राशि अथवा 2 (दो) लाख रुपये मात्र, जो भी न्यूनतम हो, प्रोत्साहन राशि के रूप में चालक प्रशिक्षण केन्द्रों को देने का प्रावधान है।

- व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाईस (VLTD) एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने एवं बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित उतरने–चढ़ने हेतु प्रथम चरण में 500 बस स्टॉप के निर्माण के विरूद्ध 454 बस स्टॉप का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं द्वितीय चरण में 296 स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।

- गुड सेमेरिटन अर्थात् वैसे व्यक्ति जिन्होने सड़क दुर्घटनाओं मे घायलों की मदद की हो, की प्रत्येक वर्ष पहचान करना और उन्हे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और सड़क सुरक्षा माह/सप्ताह के अवसर पर पुरस्कृत करने के लिए New Scheme Incentive to Good Samaritan के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000/– रुपये दिया जाता है।

- महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चालान स्वयं उस महिला या अन्य महिला, जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञप्ति है, के द्वारा किया जाता है; तो उसके लिए वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दी गई है। साथ ही निःशक्तजनों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगनेवाले कर को पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया है तथा ई–रिक्शा/ई–कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैट्री चालित यान/इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

- **वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र एवं प्रोत्साहन योजना** अंतर्गत राज्य में वत्तर्मान में 1301 वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र कार्यरत है जिसमें पटना जिले में 220, मुजफ्फरपुर में 80, गया में 67 वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र कार्यरत है। सभी वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र ऑनलाईन किये जा चुके है। साथ ही सभी वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र प्रीपेड मॉडयुल पर कार्यरत है।

- राज्य के वैसे प्रखंड जहाँ वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित नहीं है उन प्रखंडों हेतु ''वाहन

प्रदूषण जांच केन्द्र प्रोत्साहन योजना'' लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदूषण जांच केन्द्र के उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत राशि अथवा अधिकतम 03 लाख रुपये मात्र प्रोत्साहन राशि अनुदान के रूप में आवेदक को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

- ''बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019'' योजना अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन को दिनांक–31.03.2022 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लागू होने से ऑटो चालकों के व्यावसायिक हित पर प्रभाव नहीं पड़े इसके लिए अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

- पटना शहरी क्षेत्र के परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि से पटना नगर निगम द्वारा परिवहन विभाग को डीजल चालित व्यावसायिक बसों को नये सी०एन०जी० ईंधन चालित बस से प्रतिस्थापित करने हेतु 3.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

- औरंगाबाद में स्थापित चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान में परिवहन विभाग द्वारा 2,000 (दो हजार) भारी मोटर वाहन चालकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत जून, 2019 से अब तक 40 बैच में कुल 441 प्रशिक्षु चालकों को वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त संस्थान में यातायात पुलिस कर्मियों को छः दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत् अभी तक 58 (अन्ठावन) बैच में कुल 1676 (एक हजार छः सौ छिहतर) पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। त्रुटिमुक्त वाहन चालन जाँच एवं तत्पश्चात् वाहन चालन अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत करने हेतु मैन्युअल पद्वति को प्रतिस्थापित कर सेंसर एवं कैमरे से लैस स्वचालित वाहन चालन जाँच ट्रैक का शुभारंभ किया गया।

- राज्य में सड़क दुर्धटनाओं में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये एवं गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 242.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 152.18 करोड़ रुपये कुल 394.18 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खान एवं भूतत्व विभाग

- खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के मामले में बिहार राज्य द्वारा तीव्र विकास किया गया है। वर्ष 2020–21 में वार्षिक लक्ष्य 1,600.00 करोड़ रुपये के विरूद्ध 1,708.93 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर तक 876.14 करोड़ रुपये की वसूली हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45.28 प्रतिशत अधिक है।

- बिहार पहला राज्य है, जिसने अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दण्डात्मक प्रावधान किये है। इस हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2021, दिनांक 05.07.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें अवैध खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों के लिए शमन शुल्क– 25 हजार से 4.00 लाख रुपये एवं खनिज मूल्य स्वामित्व का 25 गुणा जुर्माना के रूप में लिए जाने का प्रावधान किया गया है। जब्त सामग्री एवं वाहनों के लिए शमन शुल्क की राशि जमा नहीं करने पर इन्हें अभिग्रहित कर नीलामी का भी प्रावधान किया गया है।

- अवैध उत्खनन की रोक–थाम के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स गठित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 11,618 छापेमारी, 2,514 प्राथमिकी दर्ज एवं 1,422 अवैध उत्खननकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस क्रम में दण्ड के रूप में न्यायालय एवं विभाग द्वारा कुल 91.08 करोड़ रुपये की वसूली की गयी है।

- बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के लघु खनिजों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त मामलों में ही खनन कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 0.82 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 48.37 करोड़ रुपये कुल 49.19 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

शिक्षा विभाग

- राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों–बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएँ

संचालित की जा रही है। वर्त्तमान में कुल बजट का लगभग 16.5% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है।

- राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40,558 पदों एवं मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हेतु 8,386 पदों का सृजन किया गया है।

- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत अब पूर्व बालपन शिक्षा (Early Childhood Education) से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जा रहा है।

- समग्र शिक्षा अभियान के तहत 21,286 नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के साथ–साथ 19,633 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप 98.63% टोले (Habitation) प्राथमिक विद्यालयों से एवं 99.19% टोले (Habitation) मध्य विद्यालयों से आच्छादित है।

- 15,941 प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय भवन के विरूद्ध 15,653 विद्यालय भवन का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक विद्यालयों के 2,85,773 वर्ग कक्षों के विरूद्ध 2,79,801 वर्ग कक्ष का निर्माण किया जा चुका है।

- वर्ष 2021 में कोविड–19 के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए व्यापक नामांकन अभियान 'प्रवेशोत्सव–विशेष नामांकन' अभियान चलाया गया। इसके तहत् 6–18 आयुवर्ग के सभी बच्चों का नामांकन उनके नजदीक के विद्यालय में कराया गया है। इस अभियान के तहत् पूरे राज्य में 36.77 लाख बच्चे बिहार के विभिन्न विद्यालयों में नामांकित हुए हैं।

- पूरे राज्य में विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को विद्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे 5,682 आंगनबाड़ी केन्द्र जो विद्यालय परिसर में संचालित है, उनके सशक्तिकरण हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है।

- शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिए वर्ग 1–8 के 1,29,65,878 बच्चों के लिए 402.71 करोड़ रुपये निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक एवं 1,49,69,278 बच्चों के लिए 898.15 करोड़ रुपये पोशाक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके खाते में DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई है।

- Covid-19 के कारण विद्यालय बंद होने की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किये गये ई–कन्टेन्ट के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन, बिहार (मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय) पर प्रतिदिन 5 स्लॉट (एक–एक घंटा का एक स्लॉट) में डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था की गयी है। बिहार राज्य पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा विद्यावाहिनी मोबाईल एप के माध्यम से वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य–पुस्तक को बच्चों को उपलब्ध कराया गया है।

- समाज के कमजोर वर्ग की छीजित बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कक्षा–6 से 8 तक के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के०जी०बी०भी०) संचालित हैं तथा इनमें कुल 50,963 बालिकायें नामांकित होकर पढ़ रही हैं।

- 03 दिसम्बर, 2021 को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों में दिव्यांग बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की गयी।

- भारत सरकार की संस्था एलिम्को (ALIMCO) द्वारा राज्य के सभी जिलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आकलन सह मूल्यांकन शिविर का आयोजन दिनांक 03.01.2022 से 12.02.2022 तक विभिन्न तिथियों में आयोजित कर चिह्नित बच्चों को आवश्यकतानुसार सहाय्य उपकरण उपलब्ध कराया गया।

- राज्य के पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 वीं तक की 27,155 दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृति की राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30,620 पदों पर छठे चरण में नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।

- उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्रमशः 32,916 माध्यमिक एवं 1000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों का सृजन किया गया है।

- राज्य के उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 प्रधानाध्यापक के पद का सृजन किया गया है।

- राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किये जाने के निर्णय के आलोक में शेष 2,948 अनाच्छादित पंचायतों में शैक्षिक सत्र 2020–21 से 9वीं की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गयी है।

- राज्य के सभी 9,360 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **''उन्नयन बिहार''** कार्यक्रम के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास रूम निर्माण की कार्रवाई पूर्ण हो गयी है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्मार्ट क्लास के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है।

- प्रत्येक जिले के एक–एक उच्च माध्यमिक विद्यालय (कुल 38) को चिह्नित कर उसे अनुकरणीय **मॉडल विद्यालय** के रुप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है।

- NISHTHA I&II प्रशिक्षण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में DIKSHA Portal/App के माध्यम से 91,941 प्रारंभिक विद्यालयों एवं 37,434 माध्यमिक / उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना** विभाग द्वारा सुचारू रूप से कार्यान्वित की जा रही है एवं छात्र / छात्राओं को निर्धारित दर पर राशि उपलब्ध करायी जाती है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2021 में भी पूर्व के वर्षों की तरह इन्टरमिडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा फल भी देश में सबसे पहले रिकार्ड समय में प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित किया है जिसके फलस्वरूप CBSE सहित देश के कई परीक्षा बोर्डों से उत्तीर्ण छात्र बिहार बोर्ड के संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन ले रहे है।

- माध्यमिक / उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र / छात्राओं के कैरियर काउंसिलिंग के लिए **''बिहार कैरियर पोर्टल''** विकसित किया गया है। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पंजीकृत कक्षा 10 के विद्यार्थी हेतु Career Guidance कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 10 के 13,03,968 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

- राज्य के वैसे अनुमण्डलों में, जहाँ पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है, वहाँ

डिग्री महाविद्यालय खोलने की राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में चिन्हित किए गए 18 अनुमण्डलों में से अब तक 06 अनुमण्डलों में यथा–बगहा (प० चम्पारण), वायसी (पूर्णिया), राजगीर (नालंदा), पकड़ीदयाल (पू० चम्पारण), बेनीपुर (दरंभगा) एवं शिवहर डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की गयी है।

- राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में 03 अन्य डिग्री महाविद्यालय यथा–धमदाहा (पूर्णिया), नौहट्टा (रोहतास) एवं अरवल जिला मुख्यालय में स्थापना की गयी है।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य में उच्च स्तरीय शिक्षा के निमित्त आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में पूर्व से स्थापित तीन शैक्षणिक संस्थानों क्रमशः Centre for Geographical Studies, School of Journalism and Mass Communication and Patliputra School of Economics के साथ ही, 03 अन्य शैक्षणिक संस्थान के रूप में Centre for Stem Cell Technology, Centre for Astronomy and Centre of Philosophy की स्थापना की गई है।

- राज्य सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा 07 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।

- **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** अन्तर्गत अभी तक कुल 1,63,331 आवेदकों के लिए 4,989.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

- राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से छात्रों के नामांकन हेतु 18,899 सीटों की वृद्धि की गई है।

- विश्वविद्यालयवार एवं विषयवार सहायक प्राध्यापकों के 4,638 पदों पर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 से इन्टर उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि रु० 10,000 से बढ़ाकर रु० 25,000 एवं स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं को रुपये 25,000/– की राशि को बढ़ाकर रुपये 50,000/– कर दी गयी है।

- विद्यालयों में जल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत कक्षा 3 के सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हेतु मिशन निपुण कार्यक्रम को लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 22,198.38 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 16,993.49 करोड़ रुपये कुल 39,191.87 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य विभाग

राज्य की जनता को गुणवत्तायुक्त विविध प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएँ सुगमतापूर्वक समाज के अंतिम पायदान तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार, सतत् प्रयत्नशील है। आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित की जा रही है एवं राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

- स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास एवं शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 की मंजूरी प्रदान की गयी है।

- राज्य में द्वितीय AIIMS की स्थापना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय के परिसर में किया जा रहा है।

- पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पुनर्विकास योजना के तहत 5,540.07 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 5,462 बेड के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल निर्माणाधीन है।

- नये चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना–अगले शैक्षणिक सत्र में पूर्णियाँ के नये चिकित्सा महाविद्यालय में एम०बी०बी०एस० की पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में सीतामढ़ी, झंझारपुर, पूर्णियॉ, समस्तीपुर, सिवान, सारण (छपरा), बक्सर, जमुई बेगूसराय, महुआ (वैशाली) एवं भोजपुर (आरा) में भी चिकित्सा

महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त नये 29 ए०एन०एम०/13 जी०एन०एम०/02 बी०एस०सी० नर्सिंग में इस सत्र से नामांकन प्रारंभ हो जायेगा।

- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 100 बेड का स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना की गयी है। साथ ही, यहाँ 1,200 अतिरिक्त बेड के अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
- राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्र में एक–एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा कुल 1,379 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण हेतु 1,754.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- विगत 03 वर्षों में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा Mission Mode में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। वित्तीय वर्श 2021–22 में अब तक कुल 5192 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसमें सामान्य चिकित्सक, ए०एन०एम०, स्टॉफ नर्स, Community Health Officer (CHO) इत्यादि पद भाामिल है।
- सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के 349 पदों पर तथा जूनियर रेजिडेन्ट के 671 पदों पर नियुक्ति की गयी है।
- तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित कुल 2,090 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों एवं 834 विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना राज्य के विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में की गयी है।
- कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिनांक 16 जनवरी, 2021 से चरणबद्ध तरीके से आरंभित कोविड–19 टीकाकरण अभियान एवं समय–समय पर विशेष महाभियान इत्यादि के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयुवर्ग के 10 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण का आच्छादन दिसम्बर, 2021 तक किया गया।
- दिनांक 03 जनवरी, 2022 से राज्य में 15 से 18 आयुवर्ग के बच्चों का टीकाकरण स्कूलों में किया जा रहा है। साथ ही, दिनांक 10 जनवरी, 2022 से फ्रंट लाईन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्श से अधिक आयु के वैसे व्यक्ति, जिन्हे दोनों डोज लिये 9 माह पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें कोविड का precautionary डोज दिया जा रहा है।

- कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् राज्य के 102 एम्बुलेंस सेवा के बेड़े को (fleet) 1,000 एम्बुलेंस क्षमता के साथ सुदृढ एवं संवर्द्धित करने हेतु 750 एम्बुलेंस (534 –ALSA, 216 BLSA) क्रय की जा रही है । साथ ही 57 PSA Plants के लिए 57 DG Sets के क्रय हेतु 7.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गयी है।
- सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर पी0एस0ए0 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लान्ट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया गया है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 20 KLD क्षमता का Cryogenic Tank अधिष्ठापित किया गया। साथ ही, ऑक्सीजन उपलब्धता के अनवरत अनुश्रवण हेतु स्टेट ऑक्सीजन वार रूम की स्थापना की गयी है।
- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अतिरिक्त 13 जिला अस्पतालों में आर०टी०पी०सी०आर० लैब की स्थापना की गयी है एवं 4 जिला अस्पताल यथा कटिहार, किशनगंज, रोहतास, सहरसा में निर्माण प्रगति पर है ।
- मातृ मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर एवं प्रजनन दर में कमी लाने एवं टीकाकरण के आच्छादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न माध्यमों से विविध प्रकार के सकारात्मक पहल किये गये हैं।
- बिहार के शिशु मृत्यु दर को कम करने के प्रयास के तहत् वर्तमान में राज्य में 43 विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU) एवं 41 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (NBSU) कार्यरत है। मातृ एवं नवजात देखभाल इकाई (MNCU) का अनुमंडल स्तर पर नव–निर्माण हेतु 17 अनुमंडलीय अस्पतालों का चयन किया गया है, जिनमें से 5 अस्पतालों के भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
- राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता पर पहल करते हुए 'जीविका दीदी की रसोई' की शुरूआत करते हुए राज्य के सरकारी अस्पतालों में अंतर्वासी मरीजों को स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक कुल 45 स्वास्थ्य संस्थानों में 'जीविका दीदी की रसोई' संचालित है।
- बिहार सरकार द्वारा दिनांक 02 अप्रैल 2021 को 'बाल हृदय योजना' की शुरूआत की गई है, जिसके अन्तर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क इलाज व शल्य चिकित्सा की सुविधा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत अब तक कुल 209 बच्चों का सफल इलाज किया जा चुका है।

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों के एक–एक स्वास्थ्य संस्थान में लोक निजी साझेदारी के तहत डायलेसिस इकाई के स्थापना एवं संचालन हेतु दो एजेंसियों का चयन कर राज्य के कुल 35 जिलों (सहरसा, कटिहार एवं जहानाबाद को छोड़कर) में डायलेसिस इकाई स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। राज्य के पूर्विक्ता प्राप्त परिवारों को डायलेसिस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

- जनमानस को घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **e-Sanjeevani टेलीमेडिसिन** प्रारंभ किया गया है। चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करने हेतु ऐप्प गूगल प्ले से इस ऐप्लिकेशन को डाउनलोड कर मोबाईल के माध्यम से सामान्य चिकित्सकीय, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं जेनरल मेडिसिन विशेषज्ञ से निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने की सुविधा है।

- Universal Immunization Programme (यू०आई०पी०) के अन्तर्गत नये टीकों को शामिल किया जाता रहा है। इसके तहत् वर्तमान में 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों एवं सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों में निःशुल्क टीके दिये जा रहे हैं, जिसमें खसरा–रूबैला, रोटा वायरस, जे०ई० इत्यादि भी शामिल है।

- अनीमिया मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में 6–59 माह के शिशु तथा 5–9 वर्ष के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड (IFA) सिरप/गुलाबी गोली उपलब्ध कराया जा रहा है।

- राज्य के नागरिकों को असाध्य रोगों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से माह अप्रैल से दिसम्बर, 2021 तक 12,215 आवेदन को स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल 107.79 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गयी है।

- जनमानस को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा सेवा (Comprehensive Primary Health Services) प्रदान करने हेतु वर्ष 2018–19 से अब तक कुल 2,328 (APHC-1049, UPHC-98, HSC-1204) हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर क्रियाशील है।

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)** अंतर्गत राज्य के 22 जिलों के 27 शहरों में संचालित 104 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में OPD, ANC, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि सेवाऍ उपलब्ध करायी जा रही है। शहरी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 95 Model Immunization Corner (MIC) एवं 51 Eye Vision Centre संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 7,035.16 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,099.23 करोड़ रुपये कुल 16,134.39 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पथ निर्माण विभाग

- **वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 191.65 कि०मी०** राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार **93.86 कि०मी०** राज्य उच्च पथों एवं **1,273.19 कि०मी०** वृहद जिला पथों का निर्माण/नवीकरण कार्य पूर्ण किया गया है।

- **वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक** कुल 15 अदद् पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है जिसमें से **7 अदद्** पुलों का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा एवं 8 अदद् पथ प्रमंडलों के द्वारा पूर्ण किया गया है।

- दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत OPRMC-II के अन्तर्गत 13,064 कि०मी० विभागीय पथों का सत्त एवं उत्कृष्ट संधारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

  राज्य सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आमजन के लिए लोकार्पित किया गया जिसमें मुख्य हैंः–

  - अटल पथ फेज–1,
  - जी०पी०ओ० गोलम्बर से भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर भाया आर0 ब्लॉक,
  - राज्य उच्च पथ सं० 102 (बिहिया–जगदीशपुर), राज्य उच्च पथ सं० 85 (अमरपुर–अकबरनगर), राज्य उच्च पथ सं० 84 (घोघा पंजवारा) तथा बिहारीगंज बाईपास (राज्य उच्च पथ सं० 91),
  - मुंगेर रेल–सह–सड़क पुल ।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में पटना–गया–डोभी (127 कि०मी०), आरा–मोहनियाँ (116 कि०मी०), नरेनपुर–पूर्णियाँ (49 कि०मी०), बख्तियारपुर–रजौली (98 कि०मी०), पटना–बक्सर (92 कि०मी०), बख्तियारपुर–मोकामा (45 कि०मी०) एवं सिमरिया–खगड़िया (60 कि०मी०) राष्ट्रीय उच्च पथों के 4–लेनिंग का कार्य प्रगति में है। इसके साथ ही भारत सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत आमस–दरभंगा (212 कि०मी०) एवं एम्स, पटना से बेतिया (182 कि०मी०) ग्रीन फिल्ड को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करते हुए इन्हें

4–लेन में विकसित करने हेतु प्रारंभिक कार्रवाई (भू–अर्जन इत्यादि) की जा रही है।

- पटना रिंग रोड के अधीन कन्हौली से रामनगर पथांश का 6–लेन में विकास का कार्य प्रगति में है। महात्मा गाँधी सेतु के पूर्वी लेन में कार्य प्रगति में है एवं इसे मई, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर नये 4–लेन पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है।
- राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गत कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 6–लेन के पुल निर्माण कार्य एवं सुलतानगंज से अगुआनी घाट के बीच गंगा नदी पर 4–लेन पुल के निर्माण कार्य में प्रगति लायी गई है। विक्रमशिला सेतु के समानान्तर 4–लेन नये पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है।
- राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 106 पर कोसी नदी में फुलौत घाट पर 4–लेन पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी पर पाण्डुका के पास 2–लेन पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इंडो–नेपाल बोर्डर रोड परियोजना के 552.293 कि0मी0 के लिए 2,502.72 करोड़ रुपये की लागत पर बिहार राज्य में भारत–नेपाल सीमा के समानान्तर 2–लेन के पथ (पुल/पुलिया सहित) का निर्माण किया जा रहा है। सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक के बीच डबल डेकर उपरी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नालन्दा जिलान्तर्गत सालेपुर–नरसंडा–तेलमर–करौटा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रगति पर है। आरा जिलान्तर्गत सासाराम बाईपास पथ (वेला से मोकर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पटना शहर को जाम से मुक्त कराने की दिशा में कारगिल चौक से पटना साइन्स कॉलेज तक महत्वाकांक्षी Double Decker Flyover निर्माण की स्वीकृति एवं कार्यारम्भ किया गया।
- सात निश्चय–2 के ''सुलभ संपर्कता'' घटक अन्तर्गत जाम प्रवण स्थानों पर बाईपास पथों/एलिवेटेड पथों के निर्माण हेतु योजनाओं की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 4,420.99 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,398.04 करोड़ रुपये कुल 5,819.03 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग सरकारी कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के गुणवत्तायुक्त अत्याधुनिक तकनीक से समयबद्ध निर्माण के लिए कटिबद्ध है।

- 88.01 करोड़ रुपये की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का निर्माण कार्य प्रगति में है।
- 57.97 करोड रुपये की लागत से गर्दनीबाग आवासीय परिसर में माननीय मंत्री आवासन की योजना का कार्य प्रगति पर है।
- 518.63 करोड़ रुपये की लागत से पदाधिकारी आवासन की योजना का कार्य प्रगति पर है।
- 281.62 करोड़ रुपये की लागत से तृतीय श्रेणी के कर्मियों हेतु आवासन की योजना का कार्य प्रगति पर है।
- 135.43 करोड़ रुपये की लागत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का आवासन की योजना का कार्य प्रगति पर है।
- 78.93 करोड़ रुपये की लागत से पटना में बापू टॉवर का कार्य प्रगति पर है।
- 32.98 करोड़ रुपये की लागत से सिंचाई भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
- 63.20 करोड़ रुपये की लागत से पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
- 70.15 करोड़ रुपये की लागत से विकास भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
- विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय निर्माण हेतु 2,267.03 करोड़ रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया है इसमें से 1,462.6 करोड़ रुपये की लागत से कुल 20 अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य पूर्ण करा लिया गया है शेष 11 में कार्य प्रगति पर है।
- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा राजकीय पॉलिटेकनिक निर्माण हेतु 545.25 करोड़ रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में 399.85 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय पॉलिटेकनीक का निर्माण कार्य करा लिया गया है शेष कार्य प्रगति पर है।

- 588.404 करोड़ रुपये की लागत से कुल 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 33 में कार्य प्रगति पर है।
- 229.58 करोड़ रुपये की लागत से कुल 15 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 11 में कार्य प्रगति पर है।
- 145.00 करोड़ रुपये की लागत से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया।
- 61.00 करोड़ रुपये की लागत से पटना में बहुद्देशीय 'प्रकाश पुँज' का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया।
- 136.15 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह बोधगया का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 88.44 करोड़ रुपये की लागत से मालसलामी पटना सिटी में कम्यूनिटी सेंटर का कार्य प्रगति पर है।
- 740.82 करोड़ रुपये की लागत से राजगीर में राज्य खेल अकादमी–सह–अन्तर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है।
- 314.09 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन केन्द्र एवं संग्रहालय का कार्य प्रगति पर है।
- 41.191 करोड़ रुपये की लागत से बेतिया में एवं 41.223 करोड़ रुपये की लागत से मोतिहारी में 2000 क्षमता का प्रेक्षागृह का कार्य प्रगति पर है।
- 158.00 करोड़ रुपये की लागत से पटना संग्रहालय का उन्नयन कार्य प्रगति पर है।
- 640.51 करोड़ रुपये की लागत से पटना में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सांईस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 73.73 करोड़ रुपये की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 161.30 करोड़ रुपये की लागत से पटना के फुलवारीशरीफ में परिवहन विभाग का वर्कशाप एवं अन्य भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 248.57 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 169.50 करोड़ रुपये की लागत से पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण है।
- 889.26 करोड़ रुपये की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का निर्माण कार्य प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 4,133.43 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 827.69 करोड़ रुपये कुल 4,961.12 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

ग्रामीण कार्य विभाग

ग्रामीण कार्य विभाग का मौलिक लक्ष्य 250 तथा उससे अधिक की आबादी वाले बसावटों को एक पक्की बारहमासी सड़क उपलब्ध कराने के साथ ही विशेष रूप से सर्वेक्षित 100–249 आबादी वाले 4643 टोलों को भी पक्की सम्पर्कता देने हेतु 3977.30 कि0मी0 पथों का निर्माण कराया जाना है। अब तक कुल 4600 बसावटों/टोलों को संपर्कता प्रदान करते हुए 3945.36 कि0मी0 का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अन्य राज्य स्कीम सहित)** के अन्तर्गत कुल 1,795.19 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 3,063.41 कि०मी० पथ का कार्य पूर्ण कराया गया है एवं 53 पुलों का निर्माण कराया गया है।
- **ग्रामीण टोला निश्चय सम्पर्क योजना** के तहत अब तक कुल 4,600 बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करते हुए 3,945.36 कि०मी० सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य में विभाग के द्वारा लगभग 972.93 करोड़ रुपये खर्च कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–I अन्तर्गत 181.288 कि०मी० एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II अंतर्गत 740.018 कि०मी० अर्थात कुल 921.306 कि०मी० पथ एवं 128 पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष पथों एवं पुलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम** के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 मे कुल 4,985

कि०मी० पथ का नवीकरण / उन्नयन निर्माण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 27,988 कि०मी० पथ का निर्माण किया गया है एवं शेष 9,923 कि०मी० पथ पर नवीकरण / उन्नयन कार्य प्रगति पर है।

- विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के नियमित अनुरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मानव रहित निरीक्षण एवं Software आधारित अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर अनुरक्षण अनुश्रवण कोषांग के गठन का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत मानव रहित निरीक्षण (Vehicle Mounted 3D Imaging Device) के प्रयोग से कम समय में अधिक परिमाण में पथों का निरीक्षण तथा Software आधारित अनुश्रवण प्रणाली के तहत् निरीक्षण के क्रम में पाये गये त्रुटियों का निराकरण कम समय (Response Time) में किया जा सकता है।

- **मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजना** अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों / बसावटों को वर्ष 2022–23 तक बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 6,000 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 100 से 249 तक की आबादी वाले 4,643 अनजुड़े सर्वेक्षित ग्रामीण टोलों को बारहमासी सड़क सम्पर्कता चरणबद्व रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 3,977.30 कि०मी० पथों का निर्माण कराया जाना है। अब तक कुल 4,600 बसावटों / टोलों को संपर्कता प्रदान करते हुए 3,945.36 कि०मी० पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष पथों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना I का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 27 Non-IAP जिलों में 500 या उससे अधिक एवं 11 IAP जिलों में 250 या उससे अधिक एवं 47 LWE चिहित प्रखंडों में 100 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े गाँवों और बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 2500 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रमः**—वित्तीय वर्ष 2022–23 में 9,000 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों के मरम्मति एवं अनुरक्षण कराये जाने का लक्ष्य है।

- **सात निश्चय 2—ग्रामीण बसावटों के लिए अतिरिक्त सुलभ सम्पर्कताः**—इस योजना के लिए विभाग के द्वारा विकसित Android based App के माध्यम से अतिरिक्त सुलभ सम्पर्कता के चयनित पथों का Network को GIS Platform पर लाने तथा इस पर अवस्थित Facilities का सत्यापन करा कर चयनित पथों का प्रखण्डवार Comprehensive Priority List (CPL) तैयार किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 1,000 कि०मी० पथों का नवनिर्माण / उन्नयन / चौड़ीकरण / मजबूतीकरण किये जाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 7,950.27 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2,661.69 करोड़ रुपये कुल 10,611.96 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

योजना एवं विकास विभाग

- कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता को सुनिश्चित किये जाने हेतु NIC, पटना द्वारा विकसित Mobile App (CCE App) एवं जिओटैगिंग के माध्यम से फसल कटनी प्रयोग सम्पादित किया जा रहा है।

- राज्य के 400 प्रखंड मुख्यालय में स्वचालित मौसम केन्द्र Automatic Weather Station (AWS) 23.65 करोड़ रु० की लागत से अधिष्ठापित किया जा चुका है। AWS से प्रखंड स्तर का वर्षापात, आर्द्रता, तापमान, हवा की गति आदि से संबंधित आँकड़ों का विश्लेषण एवं मौसम पूर्वानुमान, बिहार मौसम सेवा केन्द्र (BMSK) के वरीय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। इससे राज्य के किसानों एवं आम जनता को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सुलभ हो रही है।

- स्वचालित वर्षा मापी यंत्र Automatic Rain Gauge (ARG) राज्य के 33 जिलों के 7,230 ग्राम पंचायतों में 14,434 (चौदह हजार चार सौ चौतीस) लाख रुपये की लागत से अधिष्ठापन कराया जा रहा है, जो प्रगति पर है। ARG से पंचायत स्तर के वर्षापात से संबंधित आँकड़े सीधे बिहार मौसम सेवा केन्द्र (BMSK) के सर्वर पर प्राप्त होंगे। फलस्वरूप वरीय वैज्ञानिकों द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण कर पंचायत स्तर के मौसम पूर्वानुमान का आकलन एवं प्रसारण किया जा सकेगा।

- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत तीन वित्तीय वर्षों (2019–20 से 2020–21) में 808.14 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा सृजित कोरोना उन्मूलन कोष में हस्तांतरित की गयी है।

- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** अन्तर्गत सीमावर्ती सात जिलों में वर्ष 2006–07 से अब तक 2,567 योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया गया है।

- सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों के सभी सूचकांकों को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है, जिसमें 9 सूचकांक ऐसे है, यथा–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्य के विरूद्ध व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण, खुले में शौच मुक्त जिलों का सत्यापन, घरों का विद्युतीकरण, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर, प्रधानमंत्री जन–धन–योजना के तहत लक्ष्य के विरूद्ध बैंक खाते से आच्छादित परिवार, प्रधानमंत्री जन–धन–योजना के तहत महिला खाता धारक, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का प्रतिशत, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लक्ष्य के विरूद्ध व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण एवं प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन की खपत का निर्धारित लक्ष्य बिहार राज्य द्वारा 2020–21 में ही प्राप्त कर लिया गया है।

- कोसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित जन–समुदाय को भविष्य में कोसी की आपदा से बचाने, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु विश्व बैंक सम्पोषित "बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना'' (BKBDP) का क्रियान्वयन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिलों में मार्च, 2016 से प्रारंभ किया गया है, जिसकी समाप्ति अवधि 31 मार्च, 2023 निर्धारित है। इस परियोजना हेतु पुनर्गठित (Restructured) उपबंधित कुल राशि 1911 करोड़ रुपये के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 तक 1166.90 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,969.28 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 218.54 करोड़ रुपये कुल 2,187.82 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- विकसित बिहार के सात निश्चय अन्तर्गत बिहार सरकार ने अपने संसाधनों के बल पर 'हर घर नल का जल' संकल्प को पूरा किया है। 'हर घर नल का जल' निश्चय अंतर्गत 56,544

वार्डों के लक्ष्य के विरूद्ध विभाग ने दिनांक 31.12.2021 तक 55,420 वार्डों (98%) में कार्य पूरा किया है और 82.48 लाख परिवारों (97%) को जलापूर्ति की जा रही है।

- राज्य के 14 जिलों यथा; बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार एवं सीतामढ़ी के 4,742 वार्डों के भूजल में आर्सेनिक की उपस्थिति अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई है। इनमें से 4709 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 4,422 वार्डों (93.25%) में कार्य पूर्ण हो चुका है और 6.32 लाख परिवारों को आर्सेनिक मुक्त जलापूर्ति की जा रही है।

- राज्य के 11 जिलों यथा; नालंदा, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, बांका, शेखपुरा एवं जमुई के 3,791 वार्डों के भूजल में फ्लोराईड की उपस्थिति अनुमान्य सीमा से अधिक है। इनमें से 3,789 वार्डों में कार्य प्रारंभ करते हुए 3,777 वार्डों (99.63%) में कार्य पूर्ण हो चुका है और 4.56 लाख परिवारों को शोधित जलापूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

- राज्य के 9 जिलों यथा; बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज के 21,739 वार्डों के भूजल में आयरन की उपस्थिति अनुमान्य सीमा से अधिक है। इनमें से 21,665 वार्डों में कार्य प्रारंभ करते हुए 21,134 वार्डों (97.22%) में कार्य पूर्ण हो चुका है और 35.21 लाख परिवारों को आयरन मुक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

- राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित/निर्माणाधीन पाईप जलापूर्ति योजनाओं में पाईप लाईन का विस्तार कर 'हर घर नल का जल' का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 1,118 पाईप जलापूर्ति योजनाओं में पाईप लाईन विस्तार की स्वीकृति दी गयी है जिसमें 8173 वार्डों एवं केन्द्र प्रायोजित योजना 'जल जीवन मिशन' तथा अन्य योजनाओं के तहत 18,099 वार्डों यानि कुल 26,272 वार्डों के आच्छादन कार्य अंतर्गत अब तक कुल 26,087 वार्डों (99.29%) में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (सुशासन के कार्यक्रम 2020–25) में 'स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव' के अंतर्गत अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रख–रखाव एवं अनुरक्षण की व्यवस्था हेतु अनुदेश क्रियान्वित किया गया है।

- जलापूर्ति योजनाओं में मरम्मति एवं अनुरक्षण संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ग्राम

पंचायत स्तर पर 'मरम्मति दल' का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक प्लम्बर और दो हेल्पर होते हैं।

- जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य एवं जिला मुख्यालय और अवर प्रमंडल स्तर पर जल जाँच प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं और इन प्रयोगशालाओं द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जलापूर्त्ति योजनाओं के जल की गुणवत्ता जाँच की जाती है।
- विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्त्ति योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रणाधीन गठित 'सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, बिहार' द्वारा कराया जा रहा है।
- भूजल संकट ग्रस्त इलाकों में अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के जल स्रोत की सतह बनाये रखने के लिए सतही जल आधारित वैकल्पिक जलस्रोत तैयार किये जायेंगे।
- जलापूर्ति योजनाओं की सतत क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी अनुश्रवण प्रणाली तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी।
- जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी की गतिविधियाँ संचालित की जायेगी।
- समुदाय स्तर पर पेयजल के सदुपयोग एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए सामाजिक जागरूकता, क्षमता संवर्द्धन एवं कौशल विकास की गतिविधियाँ चलाई जायेंगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,947.65 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 432.73 करोड़ रुपये कुल 2,380.38 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

श्रम संसाधन विभाग

राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं राज्य में नये औद्योगिक निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा करने एवं कोविड महामारी के प्रकोप के कारण अन्य संभावित मामलों पर कार्रवाई करने हेतु विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमावलियों में संशोधन किया गया है।

- वर्ष 2021–22 में दिनांक 10.01.2022 तक कुल 237 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 274 ऑनलाईन/ऑफलाईन जॉब कैम्प के माध्यम से कुल 4897 अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु चयन निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा किया गया है।
- वितीय वर्ष 2021–22 में NCS Portal पर कुल 2,67,635 अभ्यार्थियों का निबंधन एवं मार्गदर्शन दिये जाने का कार्यक्रम किया गया है।
- वितीय वर्ष 2021–22 में शिवहर जिला में 492.59 लाख रुपये के व्यय पर G+1 Type के संयुक्त श्रम भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आगामी वितीय वर्ष 2022–23 में अररिया एवं सहरसा जिला में संयुक्त श्रम भवन के निर्माण हेतु कार्य योजना प्रस्तावित है।
- 7 निश्चय के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनुमंडल में एक सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है।
- वर्तमान में राज्य में संचालित कुल 149 संस्थानों में से 93 संस्थानों को अपना भवन है एवं 46 संस्थानों के लिए भवन निर्माणाधीन है, जिसमें 35 संस्थानों का भवन आगामी छः माह में पूर्ण होना संभावित है। 10 संस्थानों के भवन निर्माण से संबंधित कार्य प्रक्रिया में है।
- स्ट्राईभ योजनान्तर्गत औ0 प्र0 संस्थान, दीघाघाट, पटना, डेहरी ऑन सोन, गया एवं मुंगेर का उन्नयन किया जा रहा है।
- राज्य में पूर्व से केन्द्र प्रायोजित योजना मॉडल आई० टी० आई० अंतर्गत औ० प्र० संस्थान, मढ़ौरा (सारण) के अतिरिक्त महिला औ० प्र० संस्थान, भागलपुर का चयन किया गया है।
- सीपेट को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर एवं औ० प्र० संस्थान, पालीगंज, पटना में स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने हेतु 10 हजार वर्गफीट का भवन उपलब्ध कराया गया है।
- राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को Industry 4.0 हेतु Modernize करने के लिए प्रथम चरण 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं द्वितीय चरण में शेष 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से Centre of Excellence बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।
- कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कुल 1743 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। इसके तहत 12,02,916 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है एवं सम्प्रति 1,44,116 युवा प्रशिक्षणरत हैं ।

- राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2021 दिनांक 06.01.2022 से 10.01.2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुआ। राज्य की ओर से 13 ट्रेडों में 20 प्रतिभागी सम्मिलित हुए जिसमें से 13 प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न ट्रेड में जीत हासिल की गई, जिसमें स्वर्ण पदक–4, रजत पदक–2 एवं कांस्य पदक–5 शामिल है। इस प्रकार राज्यों की तालिका में बिहार को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने वाले सभी प्रतिभागी 2022 में शंघाई (चीन) में आयोजित विश्व युवा कौशल प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

- संकल्प योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए Migration Counselling cum Registration Centre (MCRC) स्थापित किया जाना है। बिहार राज्य के अन्दर 10 जिलों यथा–पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं गया में MCRC की स्थापना की जाएगी एवं बिहार राज्य के बाहर 10 प्रमुख स्थानों यथा–मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता, सूरत, पुणे, लुधियाना एवं जयपुर में भी MCRC केन्द्रों की स्थापना की जाएगी जिससे प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। यह केन्द्र प्रवासी मजदूरों के मार्गदर्शन, आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान, काउंसिलिंग तथा कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करेगा।

- सात निश्चय पार्ट 2 के अन्तर्गत बिहार के सभी 38 जिलों में मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 3 जिलों में मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना की जाएगी एवं द्वितीय चरण में बाकी जिलों में मेगा स्किल सेन्टर की स्थापना की जाएगी।

- बिहार राज्य में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 'भवन मरम्मति अनुदान योजना', 'औजार क्रय अनुदान योजना', 'साईकिल क्रय अनुदान', 'मृत्यु लाभ', 'दाह संस्कार', 'चिकित्सा', 'मातृत्व लाभ', 'निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता', 'विवाह के लिए वित्तीय सहायता', 'वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना', 'दुर्घटना अनुदान', 'पारिवारिक पेंशन', 'विकलांगता पेंशन', 'नकद पुरस्कार', 'पितृत्व लाभ', 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना' एवं आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का प्रावधान है।

- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना** के अन्तर्गत बोर्ड में निबंधित 18–40 वर्ष के अहर्त्ता प्राप्त सदस्यों के लिए पाँच वर्षो तक निर्धारित अंशदान की राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

- **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना** के अंतर्गत 13,42,185 लाभुक परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 110.90 करोड़ रुपये बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उपलब्ध करायी गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के सभी नियोजनालयों को उत्प्रवासी संसाधन केन्द्र (Migrant Resources Centre) के रूप में कार्यरत करने की योजना है ।

- राज्य के 04 जिला नियोजनालयों यथा–सिवान, गोपालगंज, मधुबनी एवं प० चम्पारण में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। शेष जिलों में भी प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केन्द्रों (PDOT) को प्रारम्भ किया जायेगा।

- बिहार कौशल विकास के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 715.69 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 231.61 करोड़ रुपये कुल 947.30 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

उर्जा विभाग

- **चौसा (बक्सर)** में 2 x 660 मेगावाट (1320 MW) ग्रीन फील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है। यहाँ दोनों इकाईयों से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023–24 में रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 85 प्रतिशत बिजली प्राप्त होगी।

- राज्य सरकार ने कजरा एवं पीरपैंती में उपलब्ध भूमि, जिसे पूर्व में ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया था, उस पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया है। इन दोनों स्थलों पर 200–250 मेगावाट (प्रत्येक) की परियोजना लगायी जाएगी।

- वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 154 तथा संचरण लाईन की कुल लम्बाई 17,120 सर्किट किलोमीटर हो गयी है जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता (Power Evacuation Capacity) 13,000 मेगावाट है। वर्ष 2022–23 तक ग्रिड सब–स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी।

- राज्य के किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् विद्युत उपकेन्द्र एवं पृथक फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन कुल 293 विद्युत उपकेन्द्रों में 273 का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 1,388 पृथक फीडरों में 1,315 का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही 2,50,000 से अधिक कृषि पम्प सेटों को विद्युत संबंध प्रदान किया गया है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2022 है।

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के सीमित आकार के अन्तर्गत सभी आवेदकों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान करना संभव नहीं हो पा रहा था। अतएव राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु कुल 1,329.61 करोड़ रुपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गई जो सरकार के हर खेत तक पानी अभियान में सहायक है। योजना का कार्य प्रगति पर है।

- राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध करायी जा रही है।

- बिहार देश का पहला राज्य है, जो बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्री–पेड मोड में लगाने की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है और **अब तक लगभग 4 लाख 33 हजार से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में पहले स्थान पर बना हुआ है।** शहरी क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक परिणाम के फलस्वरूप राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिये भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।

- वितरण कम्पनियों के कुल राजस्व संग्रहण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2015–16 में कुल राजस्व संग्रहण 5,538.78 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 10,099.49 करोड़ रुपये हो गया है। AT&C Loss में लक्ष्य के अनुरूप कमी लाने हेतु लगातार सुधारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 में AT&C Loss 40.76% था जो वर्ष 2020–21 में घटकर 32.16% हो गया है।

- सुविधा ऐप्पः–बिहार देश का पहला राज्य है जो 19 किलोवाट तक के अपने सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध प्राप्त करने हेतु पेपरलेस सुविधा ऐप्प के माध्यम से पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया अपना रहा है। कोरोना काल में इसके माध्यम से लगभग 12 लाख आवेदकों

को विद्युत संबंध दिया जा चुका है। वर्तमान में 19 किलोवाट से अधिक के व्यावसायिक, औद्योगिक आदि सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस सुविधा को विस्तारित कर दिया गया है।

- **200 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लान्ट** के अधिष्ठापन हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना से राज्य में लगभग 1250 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा साथ ही पारम्परिक ऊर्जा की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी जो पर्यावरण के अनुकूल होगा।

- **राज्य के शहरी एवं ग्रामीण निजी आवासीय भवनों** में 113 भवनों पर 583 KW क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लान्ट का अधिष्ठापन किया गया है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों पर CAPEX MODEL के तहत 9.8 MW ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है तथा शेष 2.4 MW का कार्य प्रगति पर है।

- **'जल–जीवन–हरियाली' अभियान** के तहत राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखण्ड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, आई0टी0आई0 एवं पंचायत सरकार भवनों पर कुल 18.8 MW ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है जिसके तहत 8.7 MW ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है।

- **नीचे मछली ऊपर बिजली** योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 MW क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पवार प्लान्ट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में 525 KW क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। दोनों परियोजनाओं से उत्पादन शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** के तहत रोहतास, सहरसा, कैमूर एवं गया जिले में कुल 755 अदद् सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है तथा शेष 1,070 अदद् के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। **सोलर स्ट्रीट लाईट योजना** के अर्न्तगत ब्रेडा द्वारा कुल 2,189 अदद् सोलर स्ट्रिट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है।

- बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएँ उत्पादनरत हैं जिसकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानन्दा नदियों पर जल विद्युत क्षमता की संभावना का सर्वेक्षण कराया गया है। चिह्नित स्थानों, जिसकी कुल क्षमता 160 मेगावाट है, के लिए प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,586.52 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 9,889.45 करोड़ रुपये कुल 11,475.97 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत युवा उपमिशन **''अवसर बढे, आगे पढ़े''** के तहत राज्य के सभी जिलों के लिए एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पोलिटेकनिक संस्थान स्थापित एवं संचालित है।

- वर्त्तमान में राज्य के 38 जिलों के लिए 38 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 44 पोलिटेकनिक संस्थान स्थापित एवं संचालित हैं।
- अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है।
- छात्रों के नियोजन के उदेश्य से उद्योग की मांग के अनुरूप नवीनतम टेक्नोलॉजी यथा मशीन लर्निंग, प्रोटिऐस सॉफ्टवेयर, मैटलैब, स्टैडप्रो, साईबर सिक्योरिटी, पाईथन इत्यादि पर संस्थान के शिक्षकों एवं लगभग 06 हजार छात्र / छात्राओं को आई० आई० टी० कानपुर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- राज्य के छात्र / छात्राओं में विज्ञान के प्रति अभिरूचि पैदा करने तथा वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किये गए सिद्वांतों का आम जन–जीवन में हो रहे प्रयोगों को प्रदर्शित करने हेतु पटना में डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- राज्य के छात्र / छात्राओं के साथ आमजनों में खगोलीय विज्ञान में अभिरूचि जागृत करने के उद्देश्य से दरभंगा में तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- सुशासन के कार्यक्रम 2020–25 के तहत राज्य के प्रत्येक पोलिटेकनिक संस्थानों में नये एवं उभरते हुए तकनीक यथा–ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीकल वेहिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी0 प्रिटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति, इस हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेन्सी मनोनीत करने की स्वीकृति एवं योजना को दो चरणों में कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल 97.00 करोड़ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शैक्षणिक / प्रशासनिक भवन में इलेक्ट्रोनिक नॉलेज नेटवर्क (100 Mbps) इन्टरनेट कनेक्टीविटी, वाई–फाई एवं प्रति संस्थान दो अर्थात 164 स्मार्ट क्लास) की स्थापना एवं पाँच वर्षों तक अधिष्ठापित उपकरणों के रख–रखाव एवं अनुश्रवण के लिए 79.11 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया। राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी संस्थानों में नामांकन हेतु एक तिहाई सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- तारामंडल, पटना के प्रोजक्शन सिस्टम के आधुनिकीरण एवं उन्नयन सहित सिविल, इलेक्ट्रिकल वर्क्स सहित अन्य कार्यों एवं Optical Telescope के अधिष्ठापन हेतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का उपक्रम National Council of Science Museums को कार्यान्वयन एजेन्सी नामित करते हुए 3,613.20 लाख रुपये मात्र की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- नेशनल इन्स्टीच्यूट रैकिंग फ्रेमवर्क में उच्च रैंकिग प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक मापदंडों को पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी।
- छात्र / छात्राओं के उन्नयन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु निरंतर कार्य किया जायेगा।

- नवस्थापित सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में उच्च स्तर के प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जायेगा।
- इन्डस्ट्री–4 की मांग के अनुरूप, यथा–आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साईस, 3–डी प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, इत्यादि के प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- गया में Regional Science Centre का निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।
- पटना में निर्माणाधीन, डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम साईंस सिटी के भवनों को पूर्ण करने की कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 302.86 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 290.79 करोड़ रुपये कुल 593.65 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

आपदा प्रबंधन विभाग

- वर्ष 2021 में राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन एवं कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये। साथ ही, सरकार द्वारा संचालित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH), कोविड केयर सेंटर (CCC) एवं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर (DCHC) की उचित व्यवस्था की गई। मरीजों की देख–रेख में लगे परिजनों के खाने की व्यवस्था भी सामुदायिक रसोई केन्द्रों के माध्यम से की गई। इस दौरान राज्य में कुल 739 सामुदायिक रसोई केन्द्र संचालित किए गए, जिनमें कुल 57,35,613 थाली भोजन कराया गया।
- राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4.00 लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब तक 3727 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान हेतु राशि उपलब्ध करायी गई है।
- बाढ़ 2021 से निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6000/– रुपये की दर से GR की राशि सीधे उनके खाता में PFMS के माध्यम से अंतरित किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 16,45,798 परिवारों को 987.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

- बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत 998 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अग्निकांड के मद्देनजर विभिन्न जिलों को आनुग्रहिक राहत, वस्त्र, बर्त्तन एवं क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12.86 करोड़ रुपये तथा अनुग्रह अनुदान के लिए 6.88 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया।
- सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को वर्त्तमान वर्ष 2021–22 में शीतलहर/पाला की स्थिति होने पर शीतलहर/पाला से निपटने के निमित अलाव जलाने हेतु राज्य के जिलों को कुल 2.38 करोड़ रुपये उपलब्ध करायी गयी।
- वज्रपात से मृत्यु की घटनाओं में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। वज्रपात से होने वाले जान–माल की क्षति को न्यून करने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में वज्रपात आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गयी है। इस चेतावनी प्रणाली से राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में वज्रपात की संभावना की पूर्व सूचना प्राप्त होती है। इस पूर्व सूचना को लोगों तक पहुँचाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाईल ऐप्प **"इन्द्रवज्र"** विकसित किया गया है। इस मोबाईल ऐप्प को डाउनलोड करने के उपरान्त मोबाईल धारक के आस–पास वज्रपात गिरने की स्थिति में लगभग 30 से 40 मिनट पूर्व Push Notification के माध्यम से एक विशेष Alert Tone के साथ उसे चेतावनी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आम–जनों तक वज्रपात की पूर्व सूचना पहुँचाने हेतु एस0एम0एस0, वाट्सएप ग्रुप तथा मीडिया का सहयोग भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 11.28 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 3,685.70 करोड़ रुपये कुल 3,696.98 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। राज्य में 01 फरवरी, 2014 से यह योजना लागू है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% एवं 74.53% जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्तमान में 1.76 करोड़ पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी एवं

अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल) तथा पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक लाभुकों को 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेंहूँ एवं 03 किग्रा0 चावल) क्रमशः गेंहूँ 02 रु0 प्रति किग्रा0 एवं चावल 03 रु0 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित किया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक प्रत्येक लाभुकों/राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 05 किलोग्राम खाद्यान्न (02 किलोग्राम गेहूँ एवं 03 किलोग्राम चावल) मुफ्त उपलब्ध कराया गया। इसका विस्तार मार्च 2022 तक किया गया है।

- खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, लाभुकों के शिकायतों के समाधान, बेहतर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए **बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली–2017** के अन्तर्गत शिकायत निवारण हेतु आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है जिसके अन्तर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा लाभुकों से प्राप्त शिकायतों/परिवाद का निष्पादन किया जाता है।

- वर्त्तमान में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल तीन सेवायें यथा नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन, राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण के अन्तर्गत प्रखंड कार्यालय स्थित आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर आवेदन प्राप्त किया जा रहा है एवं नियमानुसार जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नया राशन कार्ड निर्गत किया जाता है।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम**–2013 के तहत FPS Automation योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में PoS मशीन का अधिष्ठापन किया गया है, जिसके माध्यम से लाभुकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करते हुए NIC के Aadhaar enabled public distribution system के माध्यम से आवंटन, उठाव, निर्गमण, वितरण एवं भंडारण की एकीकृत प्रणाली कार्यरत है। फलस्वरूप One Nation One Ration Card की योजना भी राज्य के उपभोक्ताओं के लिए लागू है।

- वर्त्तमान में राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों यथा 1,35,44,000 ग्रामीण NFSA परिवारों को प्रति परिवार 1.0 लीटर की दर से केरोसिन तेल की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही, राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्रावासों, झुग्गी–झोपड़ी, रैन बसेरा इत्यादि हेतु प्रति परिवार एक लीटर की दर से केरोसिन तेल के वितरण हेतु प्रत्येक ठेला भेंडर को 200 लीटर किरासन तेल का आवंटन किया जा रहा है।

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था 2021–22 अन्तर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के आधार पर (धान (साधारण)–1940/– रुपये प्रति क्विंटल एवं धान (ग्रेड–ए)–1960/– रुपये प्रति क्विंटल) किये जाने हेतु कार्यरत पैक्स तथा व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति अभिकरण नियुक्त किया गया है। PFMS के माध्यम से किसानों को 48 घन्टे के अन्दर भुगतान कर धान खरीदे जाने की व्यवस्था खरीफ विपणन मौसम 2021–22 अन्तर्गत किया जा रहा है। पंजीकृत किसानों की सूची से प्रति किसान अधिकतम 250 क्विंटल धान तथा जो पंजीकृत किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं, उनसे फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त कर 100 क्विंटल धान क्रय करने का निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन मौसम, 2021–22 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाये जाने हेतु पूरी अधिप्राप्ति व्यवस्था में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 1,033.71 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 151.24 करोड़ रुपये कुल 1,184.95 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

पर्यटन विभाग

- पर्यटन राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द कायम करने का महत्वपूर्ण साधन है एवं आर्थिक संवृद्धि और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज यह एक लाभदायक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। पर्यटन के अंतर्गत आवास परियोजनाओं, खाद्य उन्मुखी परियोजनाओं, मनोरंजन पार्को एवं जलक्रीड़ाओं तथा परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में निवेश से रोजगार की वृहत सम्भावनाएँ हैं। राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है।

- राज्य में चौमुखी पर्यटकीय विकास हेतु पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्थल पर

पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से 7,198.05 लाख रुपये की योजना स्वीकृत किया गया है।

- प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत बिहार के जैन परिपथ, बिहार के कांवरिया परिपथ, मंदार हिल, अंग प्रदेश परिपथ एवं गाँधी परिपथ के विकास हेतु योजना की स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं को मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

- ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप से घोड़ा–कटोरा जाने के रास्ते में ई–रिक्शा के परिचालन के निमित शत्–प्रतिशत अनुदान पर 506 टाँगा चालकों को ई–रिक्शा उपलब्ध कराने हेतु 700.00 लाख रुपये की योजना स्वीकृत किया गया है। 473 ई–रिक्शा वितरित किया जा चुका है।

- बोधगया में कल्चरल सेंटर का निर्माण की योजना को 1,3551.06 लाख रुपये की लागत से माह अक्टूबर, 2021 में पूर्ण कर लिया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय मुख्यमंत्री, **बिहार द्वारा बांका जिला में मंदार रोपवे** का लोकार्पण किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम मद से 7,198.05 लाख रुपये की योजना स्वीकृत किया गया है जिसमें नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर रोप वे मार्ग एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण, गया जिलान्तर्गत कोटेश्वरनाथ धाम का विकास, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड में अवस्थित अमवा मन में पर्यटकीय सुविधाओं आदि का विकास की योजना शामिल है।

- पटना जिलान्तर्गत पटना साहिब में स्थित बहुद्देशीय प्रकाशपुंज को विश्वस्तरीय संग्रहालय के रूप में विकास करने हेतु 1,365.66 लाख रुपये की योजना स्वीकृत किया गया है।

- बिहार राज्य में रामायण परिपथ 6,733.53 लाख रुपये, बौद्ध परिपथ 10,141.48 लाख रुपये, सूफी परिपथ 9,712.38 लाख रुपये, प्रसाद योजना के तहत पुनौरा धाम 3,686.96 लाख रुपये, वृन्दावन आश्रम, पूर्वी चम्पारण 1,605.80 लाख रुपये, कालीबाग मंदिर, पूर्वी चम्पारण 3,389.50 लाख रुपये, राजमहल, पूर्वी चम्पारण 1,850.87 लाख रुपये एवं राजकचहरी, पूर्वी

चम्पारण के विकास हेतु 1,629.62 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजी गयी है।

- अन्य स्वीकृत 6 रोपवे परियोजना यथा, प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोणी पवर्त गया, वणावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर एवं रोहतागढ़ किला रोहतास का कार्य आरंभ कर योजना पूर्ण कराया जायेगा।

- गया जिला के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाना है।

- बोधगया के समृद्ध विकास हेतु गया में 72 एकड़ भूमि को Land Bank के रूप में निर्मित करने की योजना है।

- इंडिया टूडे समूह द्वारा बोधगया को बेस्ट स्प्रीच्युअल डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को टूरिज्म अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।

- विभागीय वेबसाईट, मोबाईल एप एवं सोशल मीडिया तथा विभिन्न प्रमुख पत्र–पत्रिकाओं में बिहार के पर्यटकीय स्थलों से संबंधित विज्ञापन के माध्यम से बिहार पर्यटन का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 300.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 26.39 करोड़ रुपये कुल 326.39 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

गृह विभाग

- राज्य के 220 भवनहीन थाना/ओ०पी० के निर्माण की स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक 97 थाना/ओ०पी० के भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शेष थानों की स्वीकृति भी दी जा रही है। वार्षिक स्कीम वर्ष 2022–23 में पुलिस भवन के निर्माण मद में 459.06 करोड़ रुपये मात्र कर्णांकित किया गया है।

- पुलिस प्रशासन के ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुलिस मुख्यालय अन्तर्गत जिला/इकाईयों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण/उपस्करों के क्रय

हेतु कुल लागत राशि 2,645.05 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त पुलिस बल के विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं Safe City Surveillance हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरा क्रय एवं अधिष्ठापित करने के लिए वार्षिक स्कीम 2022–23 में 150.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम के माध्यम से राज्य के 894 थानों को CCTNS के अन्तर्गत समाहित किया गया है, जिनमें पुलिस रिकॉर्ड की प्रविष्टि CCTNS के अन्तर्गत किया जा रहा है।

  अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) हेतु वार्षिक स्कीम 2022–23 में राज्यांश अन्तर्गत 15.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता योजना एवं विशेष आधारभूत संरचना योजना के लिए केन्द्रांश अन्तर्गत 39.58 करोड़ रुपये मात्र तथा राज्यांश अन्तर्गत 25.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- बिहार अग्निशामक सेवा के भवन निर्माण मद में चालू वित्तीय वर्ष 2021–22में 29.29 करोड़ रुपये मात्र विमुक्त किया गया है। अग्निशामालय दाउदनगर के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। वार्षिक स्कीम 2022–23 में बिहार अग्निशाम सेवा के भवन निर्माण मद अन्तर्गत 9 प्रमंडलीय कार्यालय भवन, 38 जिला कार्यालय भवन एवं 16 अग्निशामालय भवन के निर्माण हेतु 40.00 करोड़ रुपये मात्र तथा बिहार अग्निशाम सेवा के विभिन्न प्रकार के अग्निशामक उपकरणों एवं वाहनों के क्रय हेतु 72.00 करोड़ रुपये मात्र कर्णांकित किया गया है।

- राज्य के काराओं में संसीमित बंदियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने तथा कारा को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु 55 काराओं में पूर्ण रूप से एल०पी००जी० गैस प्रणाली का अधिष्ठापन कराया गया है। आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर एवं मंडल कारा हाजीपुर में मोबाईल फोन जैमर के अधिष्ठापन हेतु 19.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। 18 मंडल काराओं में 18 अद्द एम्बुलेंस उपलब्ध कराने हेतु 2.97 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गयी है। अरवल में नये कारा भवन के निर्माण हेतु 22.73 करोड़ रुपये मात्र की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

- कब्रिस्तानों की घेराबन्दी राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में 8064 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी किया जाना है, जिसमें से अब तक 6,799 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी की

जा चुकी है। वार्षिक स्कीम 2022–23 में कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी मद में 125.00 करोड़ रुपये कर्णांकित किया गया है।

- वार्षिक स्कीम 2022–23 में गृह रक्षा वाहिनी के मुख्यालय के नये भवन, 2 प्रमंडलों में प्रमंडलीय समादेष्टा–सह–जिला समादेष्टा के कार्यालय भवन एवं 4 जिला समादेष्टा कार्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति देने हेतु 25.00 करोड़ रुपये मात्र कर्णांकित किया गया है।

- बिहार मंदिर चहारदीवारी योजनान्तर्गत अब तक कुल 509 मंदिरों के चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 306 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है। वार्षिक स्कीम 2022–23 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना के अन्तर्गत 25.00 करोड़ रुपये मात्र कर्णांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 950.61 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 13,422.15 करोड़ रुपये कुल 14,372.76 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

राज्य की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं/शिकायतों से अवगत होने एवं उसके त्वरित निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने के लिए ''जनता के दरबार में मुख्यमंत्री'' कार्यक्रम का आयोजन दिनांक–12.07.2021 से प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 'संवाद', मुख्यमंत्री सचिवालय, 4, देशरत्न मार्ग, पटना में आयोजित किया जाता है।

- बिहार विकास मिशन राज्य सरकार के कार्यक्रमों का मिशन मोड में क्रियान्वयन एवं निर्धारित अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागों के साथ तथा क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन, तकनीकी सहायता, अनुश्रवण तंत्र, प्रक्रिया–सरलीकरण एवं क्रियान्वयन–सुगमता के साथ–साथ अभिनव समाधान देने के लिए अनुसचिवीय तथा विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करती है। ''न्याय के साथ विकास'' के सिद्धान्त के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए आगामी 5 वर्षो में बिहार के विकास के लिए सुशासन के कार्यक्रम, 2020–2025 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 (2020–2025) कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया जा रहा है।

निश्चय–2 (2020–2025) के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्गत विस्तृत कार्ययोजना के आलोक में कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण बिहार विकास मिशन के द्वारा किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में आजादी की 75वें वर्षगाठ के अवसर पर बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में बिहार स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित गतिविधियों के अभिलेखों का संकलन एवं डिजिटाईज कर अधिकारिक वेबसाईट archives.bih.gov.in पर अपलोड किया गया है।

- दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु अनुमानित मुआवजा राशि के भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 336.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य अवस्थित सभी जिलों के पुलिस लाईन में नाईट लैंडिंग फैसिलिटी के साथ हैलीपैड का निर्माण, उड्डयन संस्थान के लिए नया Simulator के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निदेशालय अंतर्गत बिहार उड्डयन संस्थान एवं वायुयान संगठन के लिए 3 हैंगर, शैक्षणिक भवन एवं निदेशालय के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 में महामहिम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, भारत के परिभ्रमण का सफल आयोजन के साथ–साथ बिहार परिदर्शन पर आय कुल 242 राज्य अतिथियों के आतिथ्य का सफल प्रबंधन किया गया। श्रीलंका के महानुभाव का बिहार परिदर्शन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 298.56 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 216.10 करोड़ रुपये कुल 514.66 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा नागरिकों को अवगत कराया जाता है एवं उनकी प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराया जाता है। प्राकृतिक आपदा एवं महामारी के समय विभाग सुरक्षात्मक

कार्यों / व्यवस्थाओं आदि की जानकारी प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों से जन–जन तक पहुँचाता है।

- **विशेष प्रचार अभियान** के अन्तर्गत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ बिहार में विकास एवं निवेश के लिए वातावरण बनाने का प्रयास विभिन्न माध्यमों यथाः–होर्डिंग–फ्लैक्स, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर पब्लिसिटी, विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र एवं फिल्म का निर्माण आदि के द्वारा किया जाता है।

- **विशेष अंगीभूत योजना** के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य क्षेत्रों में होर्डिंग–फ्लैक्स, फिल्म, लोकगीत, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक एवं अन्य उचित माध्यमों के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने का कार्य किया जाता है।

- सामान्य प्रचार–प्रसार के साथ–साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग कर व्यापक जन–जागरूकता फैलाया गया। इसका परिणाम है कि वैक्सीनेशन के मामले में बिहार की स्थिति काफी अच्छी है।

- **बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजनाः**–अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में इससे 737 पत्रकार लाभान्वित हुए हैं।

- **पत्रकार पेंशन योजनाः**–राज्य के 48 वरिष्ठ मीडिया कर्मी वर्त्तमान में पत्रकार सम्मान पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 101.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 136.81 करोड़ रुपये कुल 237.81 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

निर्वाचन विभाग

- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं मतदान केन्द्र स्तर पर द्वादश राष्ट्रीय मतदाता दिवस दिनांक–25 जनवरी, 2022 को मनाया गया।

- आयोग द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात् अर्हता तिथि

01.01.2022 के आधार पर निर्वाचक सूची का अन्तिम प्रकाशन दिनांक–05.01.2022 को किया गया है, जिसमें कुल 12,35,781 नये निर्वाचकों का पंजीकरण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 311.06 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

संसदीय कार्य विभाग

इस विभाग का मुख्य कार्य विधान मण्डल के संयुक्त बैठक एवं अन्य बैठकों का आयोजन करवाना/दोनों सदनों की बैठक हेतु कार्यक्रम तैयार करना/विधान मण्डल के प्रश्नों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/निवेदनों/आश्वासनों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु विभागीय परामर्श समितियों का गठन करना तथा उनकी बैठकों का आयोजन करना/विधान मण्डलीय सदस्यों/मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना/विधायी कार्यों के सन्दर्भ में अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना इत्यादि है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 7.12 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2.16 करोड़ रुपये कुल 9.28 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सामान्य प्रशासन विभाग

लोक सेवाओं की प्रदायगी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जन भागीदारी के उद्देश्य से बिहार में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है जिससे आम लोगों को काफी सुविधा मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं को पूरे तौर पर ऑनलाईन किया गया है। लोक सेवाओं की ऑनलाईन प्रदायगी और ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए **"बिहार ई–लोक सेवा"** के रूप में अपनाए गए नवाचार की अनूठी विशेषताओं और सफलताओं को **राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हुए दिनांक–13.11.2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉच समिट में बिहार को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है** और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है।

- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2010 के तर्ज पर ही राज्य सरकार के नियमित सरकारी सेवकों के सेवा मामलों तथा सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली प्रारम्भ किया गया है एवं इसके लिए **सेवा समाधान** नाम का समर्पित वेब पोर्टल तैयार कराया गया है।

- **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS)**–राज्य कर्मियों की कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, देय लाभ, सेवा पुस्तिका एवं उनमें अभिलेखों के डिजीटलीकरण एवं सेवा संबंधी सुविधाएँ सरलता से प्रदान करने के उद्देश्य से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रणाली के लागू हो जाने से सरकारी सेवकों को उनके पूरे सेवावृत की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी तथा सेवा के सभी प्रकरणों में पारदर्शिता के साथ कम से कम समय में निर्णय लेने में सहूलियत होगी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 137.50 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 646.88 करोड़ रुपये कुल 784.38 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु 90 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर 740.00 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के 23 जिलों में 41 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है, जिसमें वर्तमान में 30 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है एवं शेष स्वीकृत केन्द्रों को आरम्भ किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के अधीन प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 से अब तक 353 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृत दी गई है, जिसमें 165 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 67 स्टेडियमों का कार्य निर्माणाधीन है तथा 121 स्टेडियमों का निर्माण आरम्भ करने हेतु प्रक्रियाधीन है।
- राज्य में चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के संवर्द्धन एवं विकास हेतु राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के भवन का निर्माण 2,448.58 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है।
- पटना संग्रहालय के उन्नयन एवं विस्तारीकरण कार्य हेतु 158.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी

गयी है। विस्तारित भवन एवं पुराने भवन की दीर्घाओं को आधुनिक तकनीक के साथ संयोजित किया जायेगा ताकि ऐतिहासिक पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

- राज्य की प्रतिभा संरक्षित करने एवं पलायन को रोकने तथा आगे के नियमित उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने हेतु प्रमंडल स्तर पर आधुनिक उपकरणों से युक्त खेल अवसंरचना का निर्माण करने की योजना तैयार की जा रही है ताकि बिहार के खिलाडी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर राज्य एव राष्ट्र का नाम रौशन कर सकें।

- राज्य के आउटडोर स्टेडियम में स्थानीय महिला एवं पुरूष खिलाड़ियों के लिए ''कम एण्ड प्ले'' योजना का संचालन बड़े पैमाने पर करने का लक्ष्य है।

- परिसर में निर्मित भवन, इण्डोर हॉल, आउटडोर स्टेडियम, बॉस्केटबॉल कोर्ट एवं उपलब्ध खाली परिसर को आधुनिक खेल संसाधनों से सुसज्जित करते हुए राज्य के खेल एवं खिलाड़ियों के हित में उपयोगी बनाये जाने हेतु इसे स्पोर्ट्स एकेडमी के रूप में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

- युवा खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली चतुर्थ खेलो इण्डिया स्कूल गेम्स (KISG) की तैयारी हेतु चिन्हित खेलों के राज्य खेल संघों के साथ मिलकर सम्भावित चयनित खिलाड़ियों को स्कॉलरशीप देने एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जा रही है जिस से उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रदर्शन बेहतर किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्कीम मद में 59.00 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 117.53 करोड़ रुपये कुल 176.53 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

विधि विभाग

आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इस हेतु न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु विविध कार्य किए जा रहे हैं।

व्यवहार न्यायालय, अरवल में परिवार न्यायालय—सह—मिडियेशन केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अदालतगंज पटना में उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु क्रमशः 98 एवं 132 इकाई आवासीय कमरों हेतु बहुमंजिला आवासीय भवन फेज—1 का निर्माण कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्कीम मद में 25.43 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,034.87 करोड़ रुपये कुल 1,060.30 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- विकसित बिहार के लिए सात निश्चय के अंतर्गत "राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 320 संस्थानों में वाई—फाई स्थापित किया जा चुका है।

- राज्य के युवाओं को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 117 कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से आई०टी० प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक कुल 13,500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

- पटना में प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC) की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से C-DAC, Pune को 65.55 (पैंसठ करोड़ पचपन लाख) रुपये मात्र उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

- राज्य में आई०टी०/आई०टी०ई०एस० एवं एस०डी०एम० प्रक्षेत्र में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु आई०टी० रोड मैप के अन्तर्गत पटना के बंदर बगीचा एवं डाकबंगला चौराहे पर आई०टी० टॉवर, बिहटा में आई०टी० पार्क तथा राजगीर में आई०टी० सिटी का निर्माण किये जाने का निर्णय है। इसके लिए राजगीर में 111 एकड़, बिहटा में कुल 63 एकड़, पटना के बंदर बगीचा में रकवा 1.23 एकड़ तथा डाकबंगला चौराहा, पटना स्थित विद्यालय निरीक्षिका कार्यालय के 0.8 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।

- राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के द्वारा किये जा रहे नवाचार अथवा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु विद्यार्थी उद्यमी योजना का निरूपण किया गया है, जिसके तहत योग्य लाभार्थी को अधिकतम दस लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

- प्रदेश में बीपीओ सेक्टर के विकास हेतु एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

इसके तहत BPO स्थापित करने पर कुछ राशि Subsidy के रूप में दी जाएगी। इस योजना से राज्य में न सिर्फ उद्यमशीलता का विकास होगा बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 193.99 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 37.84 करोड़ रुपये कुल 231.83 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

निगरानी विभाग

विदित हो कि सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। लोक निधि के दुरूपयोग को रोकने के साथ–साथ लोक निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

- बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (अधिनियम 5, 2010) की धारा 5(1) के अधिघोषणा निर्गत करने के बाद अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु विशेष न्यायालयों में वर्ष 2021 में 13 वाद दायर किये गये हैं जिसमें कुल 18.46 करोड़ राशि निहित है।

- तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा वर्ष 2021 में 46 मामलों में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

- विशेष निगरानी इकाई द्वारा वर्ष 2021 में प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 06 (छः) मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

- विभिन्न निगरानी न्यायालयों में वादों को ससमय एवं सशक्त रूप से रखने हेतु बिहार अभियोजन सेवा के 06 पदाधिकारियों को विभिन्न विशेष (निगरानी) न्यायालयों में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

- विशेष निगरानी इकाई को सशक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई करते हुए 01 (एक) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक को संविदा पर नियोजित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 45.55 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

वित्त विभाग

- वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना–समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) को दिनांक–01.04.2019 से लागू किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो गया है। CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2022–23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।

- सरकार का समस्त कर राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने के लिए Online Government Revenue Accounting System (O-GRAS) कार्यरत है। इसके लिए ई–कोषागार की स्थापना की गयी है। इसके द्वारा करदाता एवं आम आदमी कहीं से और कभी भी राज्य सरकार के खाते में राशि जमा कर सकते हैं। सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति से संबंधित सभी विभागों के लिए O-GRAS लागू कर दिया गया है।

- CSS के नए दिशा–निर्देश के तहत सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए SNA (Single Nodal Agency) नामित किया गया है एवं Single Nodal Account खोला गया है तथा इसे PFMS Portal पर Mapping किया गया है।

- **कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल**–राज्य स्तर पर प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ की सूचना प्राप्त करने हेतु सभी विभागों के सभी योजनाओं के लाभुकों के निबंधन हेतु एक ''कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल'' विकसित करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल का नोडल विभाग होगा। ''कॉमन सोशल रजिस्ट्री'' पोर्टल पर राज्य के सभी योजनाओं के सभी योग्य लाभुकों से संबंधित आवश्यक कॉमन सूचना संधारित की जायेगी। वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागीय पोर्टल पर संधारित लाभुकों के कॉमन सूचना को इस पोर्टल पर स्थानांतरित किया जायेगा।

- 30 सितम्बर, 2021 तक बैंकों का कुल जमा 3,98,173 करोड़ रुपये और कुल ऋण 1,81,018 करोड़ रुपये था। इस प्रकार बैंकों का साख–जमा अनुपात (CD Ratio) 30 सितम्बर, 2021 तक 47.71 प्रतिशत है जो गत वर्ष की इसी अवधि के CD Ratio से अधिक है ।

- वर्ष 2021–22 में द्वितीय तिमाही (सितम्बर, 21) तक वार्षिक साख योजना (ACP) के लक्ष्य

1,61,500 करोड़ रुपये के विरूद्ध उपलब्धि 72,261 करोड़ रुपये हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 44.74 प्रतिशत है।

- वर्ष 2021–22 में द्वितीय तिमाही (सितम्बर, 21) तक नये किसान क्रेडिट कार्ड के निर्धारित लक्ष्य 8,75,000 के विरूद्ध 84,835 नये किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं, जो लक्ष्य का 10.04 प्रतिशत है।

- मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2021–22 में द्वितीय तिमाही (सितम्बर, 21) तक 8,79,845 लाख खाताधारियों के विरूद्ध 6,841 करोड़ रुपये ऋण वितरण हेतु स्वीकृत किया गया है एवं 5,792 करोड़ रुपये वितरित किया गया है।

- वर्ष 2021–22 में द्वितीय तिमाही (सितम्बर, 21) तक प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 12.80 लाख खातों में 305 करोड़ रुपये जमा है। 30.09.21 तक राज्य में समेकित रूप से 546.81 लाख जन–धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 16,654 करोड़ रुपये की राशि जमा है।

- वर्ष 2021–22 में द्वितीय तिमाही (सितम्बर, 21) तक अटल पेंशन योजनान्तर्गत 2.74 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में सिम्तबर, 21 तक समेकित रूप से 27.53 लाख लोगों की पंजीकरण हो चुका है।

- 30.09.2021 को राज्य में 7,662 बैंक शाखाएँ, 29,994 BC Agents, 6,602 ATM तथा 74,071 PoS Machine कार्यरत है। इस तारीख तक कुल 68.13 करोड़ ATM Cards निर्गत हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्कीम मद में 798.06 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,623.18 करोड़ रुपये कुल 2,421.24 करोड़ रुपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है।

बजट 2022–23 का सारांश

- बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2021–22 में 2,18,302.70 करोड़ रु० था तथा वर्ष 2022–23 में यह बढ़कर 2,37,691.19 करोड़ रुपये हो गया है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000.00 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान के बराबर है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,37,460.94 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान 1,17,783.84 करोड़ रुपये से 19,677.11 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2022–23 में कुल व्यय अन्तर्गत स्कीम व्यय 42.17 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 57.83 प्रतिशत है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 19.24 प्रतिशत एवं वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान 41,231.31 करोड़ रुपये से 4,503.21 करोड़ रुपये अधिक है, जिसमेंः–

- **पूंजीगत परिव्यय** – वर्ष 2022–23 में 29,749.64 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 4,415.18 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं में 6,018.12 करोड़ रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 19,316.35 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

- **ऋण अदायगियाँ** – वर्ष 2022–23 में 14,670.03 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें 1,742.62 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 12,927.41 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों (जिसमें बाजार ऋण की भी वापसी सम्मिलित है) से संबधित है।

- **ऋण एवं पेशगियाँ** – वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा 1,314.85 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 700.00 करोड़ रु०, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 474.33 करोड़ रुपये, बिजली परियोजना के कम्पनियों को

कर्ज के लिए 96.51 करोड़ रुपये एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 44.00 करोड़ रुपये दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 431.55 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 883.30 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 80.76 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान 1,77,071.39 करोड़ रुपये से 14,885.28 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2022–23 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,20,015.36 करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसमें वेतन हेतु 32,528.54 करोड़ रुपये, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन अनुदान हेतु 28,864.82 करोड़ रुपये, संविदा कर्मियों के वेतन हेतु 4,394.65 करोड़ रुपये, पेंशन हेतु 24,252.29 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान हेतु 16,305.03 करोड़ रुपये एवं ऋण वापसी पर 14,670.03 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,96,704.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान 1,86,267.29 करोड़ रुपये से 10,437.22 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के अपने स्त्रोतों से कर राजस्व के रूप में 41,387.00 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जिसमें 32,387.00 करोड़ रुपये वाणिज्यकर, 5,500.00 करोड़ रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 3,000.00 करोड़ रुपये परिवहन कर एवं 500.00 करोड़ रुपये भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान 5,505.47 करोड़ रुपये की तुलना में 630.15 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें खनन से 3,000.00 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्तियों से 2,218.78 करोड़ रुपये शामिल है।

- **ऋण उगाही** – वर्ष 2022–23 में 40,755.88 करोड़ रु० का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 35,170.00 करोड रु०, नाबार्ड से 2,600.00 करोड़ रु० का ऋण तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 75.88 करोड़ रु० एवं बाह्य संपोषित परियोजनाओं के लिए 2,910.00 करोड़ रु० का ऋण कुल 40,755.88 करोड़ रु० लिया जाना प्रस्तावित है।

- **XVवें वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2022–23 में 8,354.10 करोड़ रुपये की राशि में राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) के केन्द्रांश मद में 1,487.00 करोड़ रुपये, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 3,842.00 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,892.00 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1,133.10 करोड़ रुपये की राशि अनुमानित है।

- **षष्ठम् राज्य वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थानीय निकायों को 4,834.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है जिसमें 2,654.00 करोड़ रुपये Devolution के रूप में तथा 2,180.00 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 4,834.00 करोड़ रुपये में पंचायती राज संस्थाओं को 3,142.00 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 1,692.00 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। प्रस्तावित राशि का प्रावधान पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंधित बजट शीर्षों में किया गया है।

  वर्ष 2021–22 में राजस्व अधिशेष 9,195.90 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2022–23 में 4,747.84 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 25,885.10 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,45,310.00 करोड़ रुपये का 3.47 प्रतिशत है।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 2020–21 में 59,861.44 करोड़ रुपये थी। यह वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित अनुमान में 74,789.06 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2022–23 में 91,180.60 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान 54,531.21 करोड़ रुपये से 3,470.08 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2022–23 में अनुमानित 58,001.29 करोड़ रुपये की मदवार राशि निम्नवत् है–

क्र.	मदें	राशि (करोड़ रुपये में)
1	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम**	**46019.4400**
2	**15वें वित्त आयोग जिसमें**	**8354.1000**
	(क) राज्य आपदा राहत कोष	1487.0000
	(ख) ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	3842.0000
	(ग) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	1892.0000
	(घ) स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान	1133.1000
3	**जी०एस०टी० से होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति**	**3500.0000**
4	**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम**	**127.7481**
	कुल	**58001.2881**

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 230.25 करोड़ रुपये प्रावधान है।

ऋण प्रबंधन

- वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण GSDP का 56.36 प्रतिशत था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2020–21 के अन्त में कुल बकाया ऋण 2,27,195.49 करोड़ रुपये है जो राज्य के GSDP का 36.73 प्रतिशत है।

- अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशिः–अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,688.46 करोड़ रुपये एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए 2,403.18 करोड़ रुपये प्रावधानित की गई है।

<u>सर्वाधिक खर्च</u>

- राज्य सरकार वर्ष 2022–23 में शिक्षा पर 39,191.87 करोड़ रुपये व्यय करेगी। राज्य की शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 16,430.99 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 16,134.39 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास पर 15,456.47 करोड़ रुपये एवं गृह विभाग को 14,372.76 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 11,475.97 करोड़ रुपये तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में 12,375.07 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र.	विवरण	2021-22 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रुपये)	2022-23 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रुपये)
1	कुल राजस्व प्राप्ति	169110.85	196704.51
2	राज्य सरकार का राजस्व	40555.47	47522.62
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	74789.06	91180.60
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	53766.31	58001.29
5	राजस्व व्यय	206318.07	191956.67
6	राजस्व बचत(-)/घाटा(+)	37207.22	-4747.84
7	पूंजीगत प्राप्ति	44350.63	41187.43
8	पूंजीगत व्यय	49155.48	45734.52
9	कुल प्राप्ति	213461.48	237891.94
10	कुल व्यय	255473.55	237691.19
11	राजकोषीय घाटा	76838.07	25885.10

समेकित निधि में राशि–वित्तीय वर्ष 2022–23 में सकल (Gross) व्यय 2,41,206.9535 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें निवल (Net) व्यय 2,37,691.1885 करोड़ रुपये है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल (Gross) व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में सकल व्यय 2,41,206.9535 करोड़ रुपये में मतदेय राशि 2,08,608.91 करोड़ रुपये एवं भारित राशि 32,598.04 करोड़ रुपये है।

राजकोषीय घाटाः–राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022–23 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310.00 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.47 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार वर्ष 2022–23 में सभी आयामों में अग्रणी रहेगा। मैं वर्ष 2022–23 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है

अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है

अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन

अभी तोलना आसमान बाकी है।

जय भारत, जय बिहार।

****